## CONSENT DECLARATION
## सहमति घोषणा

**From:**
**प्रेषक:**

**Borrower Name:**
**उधारकर्ता का नाम:**

**Borrower Address:**
**उधारकर्ता का पता:**

**Co-Borrower 1 Name:**
**सह-उधारकर्ता 1 का नाम:**

**Co-Borrower 1 Address:**
**सह-उधारकर्ता 1 का पता:**

**To:**
**सेवामें:**

**Cholamandalam Investment and Finance Company Limited,**
**'Chola Crest', C 54 & 55, Super B-4,**
**Thiru Vi Ka Industrial Estate,**
**Guindy,**
**Chennai -600032.**
**CIN: L65993TN1978PLC007576.**

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
'चोला क्रेस्ट', C 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट,
गिंडी,
चेन्नई -600032.
CIN: L65993TN1978PLC007576.

**Sir/Madam,**
महोदय/महोदया,

M/s. Cholamandalam Investment and Finance Company Limited.
'Chola Crest', C 54 & 55, Super B-4,
Thiru Vi Ka Industrial Estate,
Guindy,
Chennai - 600 032.

मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
'चोला क्रेस्ट', C 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट,
गिंडी,
चेन्नई -600032.

I/We can read and understand the terms in ~~English~~ Hindi. I/We agree to receive all documents/correspondence in ~~English~~ Hindi.
मैं/हम शर्तों को हिन्दी में पढ़ और समझ सकता हूँ/सकते हैं। मैं/हम सभी दस्तावेज/पत्राचार हिन्दी में लेने के लिए सहमत हूँ/हैं।

I hereby confirm that I/we have read and understood all the terms and conditions of sanction of the loan facility dated 03-02-2026 extended by me and give my unconditional acceptance for the sanctioned facility as per the said terms and conditions.
मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि ~~मैंने~~ मुझे दी गई लोन सुविधा दिनांक 03-02-2026 के सभी नियमों और शर्तों को मैंने पढ़ और समझ लिया है और मैं उक्त नियमों और शर्तों के अनुसार, मंज़ूर की गई सुविधा के लिए बिना शर्त मंज़ूरी देता/देती हूँ।

I/We may execute this Sanction Letter and Loan documents in any electronic/digital form (where applicable) by affixing digital/electronic signature or through an OTP (One Time Password) and/or e-link sent to our declared mobile number or e-mail ID and/or by clicking 'I Agree/Accept' button or any other mode, which shall be a binding contract between Borrower and CIFCL.

मैं/हम इस स्वीकृति पत्र और ऋण दस्तावेजों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्रारूप में (जहां लागू हो) डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करके या हमारे घोषित मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर भेजे गए OTP (वन टाइम पासवर्ड) और/या ई-लिंक के माध्यम से और/या 'मैं सहमत हूँ/स्वीकार करता हूं' बटन पर क्लिक करके या किसी अन्य ~~माध्यम~~ से निष्पादित कर सकते हैं, जो ऋणी और CIFCL के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा।

Further, I hereby give my consent to deduct Insurance premium payable in relation to the insurance scheme, if any, agreed and opted for by me/us from the loan amount at the time of disbursal.

इसके अलावा, मैं एतद्द्वारा अपनी मंज़ूरी देता/देती हूँ कि अगर मैंने/हमने किसी बीमा स्कीम पर सहमति दी है और चुना है, तो ऋण के संवितरण के समय ऋण की रकम से बीमा प्रीमियम काट लिया जाएगा।

Read, understood and accepted
पढ़ा, समझा और स्वीकार किया

For
कृते

Borrower
ऋणी

Name & Signature
नाम और हस्ताक्षर

Co-Borrower 1
सह-ऋणी 1

Name & Signature
नाम और हस्ताक्षर

## LOAN AGREEMENT- DROPLINE FLEXI SMALL ENTERPRISE LOAN
## ऋण समझौता - ड्रॉपलाइन फ्लेक्सी लघु उद्यम ऋण

This Loan Agreement- Dropline Flexi Small Enterprise Loan **('Agreement')** is made on the date as set out in Schedule by and between: The Borrower and Co-Borrower/s more particularly described and set out in the Schedule hereof (hereinafter referred to as **'the Borrower'** and which expressions shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include his/her/its their respective heirs, executors, administrators, nominees, attorneys, and legal representatives (where the Borrower is an individual/sole proprietor), permitted assigns and successors-in-interest as the case may be, (where the Borrower is a company within the meaning of the Companies Act, 2013 or any other body corporate) the partners from time to time of the firm, their survivor(s) and the heirs, executors, administrators, legal representatives, nominees and successors of the partners(where the Borrower is a partnership firm)) of the FIRST PART
यह ऋण समझौता - ड्रॉपलाइन फ्लेक्सी लघु उद्यम ऋण ('**अनुबंध**') अनुसूची में उल्लिखित दिनांक को निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया है:
ऋणी और सह ऋणी, जिनका विशेष वर्णन और निर्धारण इस अनुसूची में किया गया है (जिन्हें यहाँ इसके बाद ऋणी" कहकर संबोधित किया जाएगा ) और–इस शब्द का अर्थ जब तक कि , संदर्भ या उसके अर्थ के विपरीत न, उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, प्रशासक, नामित व्यक्ति, मुख्तार( Attorney), और कानूनी प्रतिनिधि (जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति/ एकल स्वामी है), अनुमत प्राप्त समनुदेशिती (assigns) और हित -उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो (जहां ऋणी, कंपनी अधिनियम 2013 की दृष्टि से एक कंपनी या कोई अन्य कॉर्पोरेट निकाय है), फर्म में समय-समय पर शामिल होने वाले पार्टनर, उनके उत्तरजीवी, और उन भागीदारों के वारिस, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, नामित व्यक्ति और उत्तराधिकारी (जहां ऋणी एक पार्टनरशिप फर्म है) शामिल होंगे, यह सभी लोग प्रथम पक्ष में शामिल हैं

The Guarantor/s, more particularly described and set out in the Schedule hereof (hereinafter referred to as **'the Guarantor'** which expressions shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include his/her/its/their respective heirs, executors, administrators, nominees, attorneys, and legal representatives (where the Guarantor is an individual/sole proprietor), permitted assigns and successors-in-interest as the case may be, (where the Guarantor is a company within the meaning of the Companies Act, 2013 or any other body corporate) the partners from time to time of the firm, their survivor(s) and the heirs, executors, administrators, legal representatives, nominees and successors of the partners(where the Guarantor is a partnership firm)) of the SECOND PART

मास्टर गारंटीकर्ता जिनका विशेष वर्णन और निर्धारण इस अनुसूची में किया गया है (जिन्हें यहाँ इसके बाद "गारंटीकर्ता" कहकर संबोधित किया गया है) और और इस शब्द का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, प्रशासक, नामित व्यक्ति, मुख्तार( Attorney), और कानूनी प्रतिनिधि (जहां गारंटर एक व्यक्ति/ एकल स्वामी है), अनुमत प्राप्त समनुदेशिती (assigns) और हित रखने वाला उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो (जहां गारंटर, कंपनी अधिनियम 2013 की दृष्टि से एक कंपनी या कोई अन्य निकाय कॉर्पोरेट है), समय-समय पर फर्म में शामिल होने वाले पार्टनर, उनके उत्तरजीवी, और उन पार्टनरों के वारिस, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, नामित व्यक्ति और उत्तराधिकारी (जहां गारंटर एक पार्टनरशिप फर्म है) शामिल होंगे, यह सभी लोग द्वितीय पक्ष में शामिल हैं

AND
और

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited, a company incorporated and registered under the Companies Act, 1956 and having its Registered Office at 'Chola Crest', C 54 & 55, Super B-4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032, (hereinafter referred to as **'the Company'** which expression shall unless it be repugnant to the context or meaning thereof mean and include its successors and assigns) of the THIRD PART

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय, 'चोला क्रेस्ट', C 54 और 55, सुपर B-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032 में स्थित है, (जिसे यहाँ इसके बाद से "**कंपनी**" कहकर संबोधित किया गया है),–हैं (इस अभिव्यक्ति से जब तक कि संदर्भ या अर्थ में इसके प्रतिकूल न हो, इसके **उत्तराधिकारी और समनुदेशिती** अभिप्रेत होंगे और इसमें वे सम्मिलित माने जाएंगे )**तृतीय पक्ष** के रूप में।"

The Borrower, Guarantor and the Company shall hereinafter collectively be referred to as the **'Parties'** and individually as a 'Party'.

ऋणी, गारंटर और कंपनी को यहाँ इसके बाद से सामूहिक रूप से "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" कहकर संबोधित किया जाएगा

WHEREAS:

जहाँ:

A. The Company is a non-banking finance company inter alia engaged in the business of providing loans/credit facilities to various customers.

A कंपनी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो विभिन्न ग्राहकों को ऋण/क्रेडिट सुविधाएं देने का काम करती है।

B. The Borrower has requested the Company for loan facility for the purpose more fully described in the Loan Application and Schedule Hereunder

B –**ऋणकर्ता** ने **कंपनी** से उस प्रयोजन हेतु ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो **ऋण आवेदन** एवं **अनुसूची** में पूर्णतः वर्णित है।"

C. The Guarantor has requested the Company to extend the said loan facility to the Borrower and in consideration for the above, the Guarantor has agreed to guarantee to the Company the due performance by the Borrower of the contractual terms and conditions contained herein and discharge all liabilities as stipulated in this Loan Agreement;

C. गारंटर ने कंपनी से ऋणी को उक्त वित्तीय सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है और इसके बदले में, गारंटर ने कंपनी को इसमें शामिल अनुबंधात्मक नियमों और शर्तों और इस ऋण समझौते में निर्धारित सभी देनदारियों का ऋणी द्वारा सही से पालन किए जाने की गारंटी देने पर सहमति व्यक्त की है;

D. The Company relying upon the representations made by the Borrower and Guarantor has agreed to provide the Loan sought to the Borrower, upon the terms and conditions stipulated hereinafter;

D. कंपनी ऋणी और गारंटर द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, ऋणी को नीचे बताए गए नियमों और शर्तों के तहत ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है।

**NOW, THEREFORE,** in consideration of the foregoing and other good and valid consideration, the receipt and adequacy of which is expressly acknowledged, the Parties hereby agree as follows:

**अतः,** पूर्वगामी और अन्य उचित एवं विधिमान्य प्रतिफल के बदले, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है, पक्षकार इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में सहमत होते हैं:

## 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS
## 1. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

**(a) Definitions:**

(a) **परिभाषाएं:**

For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए, जब तक कि सन्दर्भ में कुछ और ज़रूरी न हो:

**'Affiliate'** means, with respect to (i) any Party, any other Person directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with such Party; (ii) in respect of a natural Person, shall also include a Relative of such natural Person and any Person who is Controlled by or is under common Control with such Relative;

**संबद्ध** का मतलब, (i) किसी भी पक्ष के संबंध में, कोई अन्य व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पक्ष को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है या दोनों एक ही नियंत्रण में है; (ii) किसी प्राकृतिक व्यक्ति के संबंध में, इसमें उस प्राकृतिक व्यक्ति का रिश्तेदार और कोई भी व्यक्ति भी शामिल होगा जो उस रिश्तेदार द्वारा नियंत्रित होता है या दोनों एक ही नियंत्रण में है;

**'Agreement'** means and includes this Agreement, together with all the schedules, exhibits, addendums, attachments and appendices annexed hereto and all amendments/supplements hereto and restatements hereof;

अनुबंध का अर्थ है यह अनुबंध और साथ ही इसमें संलग्न सभी अनुसूचियां, प्रदर्श, परिशिष्ट, संलग्नक और अनुलग्नक और इसके सभी संशोधन/पूरक और पुनर्कथन भी इसमें सम्मिलित माने जाएंगे;";

**'Annual Maintenance Charge'** means charge payable by the Borrower to the Company annually on or before the end of each anniversary from the,dateof this agreement

**वार्षिक रखरखाव शुल्क' का** अर्थ है–वह शुल्क जो ऋणी (Borrower) द्वारा कंपनी को निष्पादन तिथि ) से प्रत्येक वर्षगाँठ के अंत में या उससे पहले वार्षिक रूप से देय होगा।

**'Applicable Law'** means all applicable:

**'लागू कानून'** का मतलब है सभी लागू:

a. statutes, enactments, acts of legislature or parliament, laws, ordinances, rules, bye-laws, regulations, listing agreements, notifications, guidelines or policies issued by any Governmental Authority; and

a. विधान, अधिनियम, विधानसभा या संसद में पारित विधेयक, कानून, अध्यादेश, किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नियम, उप-नियम, विनियमन, लिस्टिंग समझौते, अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश या नीतियां; और

b. administrative interpretation, writ, injunction, directions, directives, judgement, arbitral award, decree, orders or Governmental Approvals of, or agreements with, any Governmental Authority,

b. प्रशासनिक व्याख्या, रिट, निषेधाज्ञा, दिशानिर्देश, निर्देश, निर्णय, मध्यस्थता निर्णय, आज्ञप्ति, किसी भी सरकारी प्राधिकरण के आदेश या सरकारी अनुमोदन, या उसके साथ समझौते,

as may be in force from time to time in any relevant jurisdiction;

जो किसी भी संबंधित क्षेत्राधिकार में समय-समय पर लागू हो सकते हैं;

**'Business Day'** means a day on which the Company and banks are open for business in Chennai and location of the drawee bank on which the Repayment Mode is drawn;
**'व्यावसायिक दिन'** का मतलब वह दिन है जिस दिन चेन्नई में और आहर्ता बैंक के स्थान में, जहां पुनर्भुगतान माध्यम आहरित है, कंपनी और बैंक व्यवसाय के लिए खुले होते हैं;

**'Control'** together with its grammatical variations when used with respect to any Person, shall mean and include the power to direct the management and policies of such Person, directly or indirectly, whether individually or jointly with other persons, through the ownership of the vote carrying securities, by contract or otherwise howsoever;

**नियंत्रण** 'अपने विभिन्न व्याकरणिक रूपों के साथ जब किसी व्यक्ति के संबंध में उपयोग होता है, तो इसका अर्थ उस व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, वोट धारणीय प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से, अनुबंध द्वारा या किसी भी अन्य तरह से निर्देशित करने की शक्ति होगा और इसमें शामिल होगा;

' Cheque/ Mandate**Bounce Charges'** means an amount payable by the Borrower to the Company as a penalty where ECS/NACH or any other Mandate issued by the Borrower is not honoured by the bank, or any other Repayment Mode is returned or not honoured;

**चेक/मैंडेट बाउंस शुल्क**'का अर्थ है **ऋणी** द्वारा कंपनी को दंड के रूप में देय वह राशि, जहाँ **ऋणी** द्वारा जारी ईसीएस/एनएसीएच (ECS/NACH) या कोई अन्य अधिदेश (Mandate) बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, या पुनर्भुगतान का कोई अन्य तरीका वापस आ जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता है।

**'Drawing Limit'** means the amount available to be borrowed by the Borrower at any given point in time arrived at by reducing the Dropline Amount along with other withdrawals from the relevant Drawing Limit and addition because of Prepayment.

'**आहरण सीमा**' का अर्थ है ~~उधारकर्ता~~ **ऋणी** द्वारा किसी भी समय ऋण में ली जाने वाली उपलब्ध राशि, जो संबंधित आहरण सीमा से ड्रॉपलाइन राशि एवं अन्य निकासी राशियों को घटाने और पूर्व भुगतानों के कारण वृद्धि को जोड़ने के बाद प्राप्त होती है।

**'Dropline Amount'** means the amount equal to the principal portion of Instalment arrived as if the Loan amount is to be repaid as term loan together with the applicable Interest Rate payable herein for the Loan Tenure specified in the Schedule. Accordingly, the Dropline Amount for each Due Date shall be arrived immediately after the disbursal of Loan and remain fixed during the Loan Term.

'**ड्रॉपलाइन राशि**' का अर्थ है किस्त के मूल राशि के हिस्से के बराबर राशि, जो अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण अवधि के लिए देय लागू ब्याज दर के साथ सावधि ऋण के रूप में चुकाई जाने वाली ऋण राशि होती है। तदनुसार, प्रत्येक नियत तारीख के लिए ड्रॉपलाइन राशि ऋण संवितरण के तुरंत बाद तय हो जाएगी और पूरी ऋण अवधि के दौरान स्थाई रहेगी।

**'Due Date',** means, the date on which the Instalment of the Loan and /or any other amount payable under this Agreement is due for payment under any clause of this Agreement.

'देय तिथि का अर्थ है, वह तारीख जिस दिन ऋण की किस्त और/या इस समझौते के तहत कोई अन्य देय राशि इस समझौते के किसी भी खंड के तहत भुगतान के लिए नियत है।

**'Electronic Clearing Services'** or **'ECS'/ 'National Automated clearing house'** or **'NACH'** means a debit clearing service including **E-NACH** and **'Mandate'** means any mandates notified by Reserve Bank of India including ECS/NACH, the participation in which it has been consented to in writing by the Borrower for facilitating payment of Instalments under this Loan agreement.

"**इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएं**" या "**ECS**" और "राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस" या " NACH" का मतलब डेबिट क्लियरिंग सेवा है जिसमें E-NACHभी शामिल है और 'मैंडेट' का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया कोई भी मैंडेट, जिसमें ECS/NACHभी शामिल हैं, **को** इस ऋण समझौते के तहत किस्तों का भुगतान करने व जिसमें भाग लेने की **ऋणी** ने लिखित सहमति दी है।

**'Instalments'** means the amount of monthly payments required to be paid to the Company in order to repay the Loan and includes principal amount of the Loan and/or interest, as the case may be in line with the terms of this Agreement.

'**किश्तें**' का मतलब है ऋण चुकाने के लिए कंपनी को हर महीने भुगतान की जाने वाली रकम, और इसमें ऋण का मूल धन और/या इस समझौते की शर्तों के अनुसार ब्याज शामिल है।

**'Interest Rate'** means the rate of interest in relation to the Loan as mentioned in Schedule;

'**ब्याज दर**' से तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित ऋण के संबंध में ब्याज दर है;

**'Loan Application'** means the Loan application, in the form and manner prescribed and acceptable to the Company together with such documents and information as may be required by the Company, filled in and submitted by the Borrower, Guarantor (if any) in physical or electronic form to the Company requesting Dropline Flexi Small Enterprise Loan;

'**ऋण आवेदन**' का मतलब है, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में और तरीके से ऋण आवेदन, जिसे **ऋणी**, गारंटर (अगर कोई हो) ड्रॉपलाइन फ्लेक्सी लघु उद्यम ऋण के लिए अनुरोध करते हुए, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भरकर, कंपनी के लिए आवश्यक दस्तावेजों और जानकारियों के साथ, कंपनी में जमा करता है;

**'Loan'** means the dropline flexi small enterprise loan provided by the Company to Borrower upto a maximum of principal amount as specified in the Schedule.

**'ऋण'** का मतलब है कंपनी द्वारा अनुसूची में उल्लिखित अधिकतम मूलधन सीमा तक उधारकर्ता को दिया गया ड्रॉपलाइन फ्लेक्सी लघु उद्यम ऋण।

**'Loan Documents'** means collectively:

**'ऋण दस्तावेज'** का मतलब है:

a. Loan Application
ऋण आवेदन

b. Sanction letter
स्वीकृति पत्र

c. Agreement
**अनुबंध**

d. Welcome Letter
स्वागत पत्र

e. any other document executed from time to time in relation to the Loan to which the Borrower, Guarantor and/or the Company is a party and any other agreement or document which the Company designates as a Loan Document;

कोई अन्य दस्तावेज जो ऋण के संबंध में समय-समय पर निष्पादित किया जाता है, जिसमें **ऋणी**, गारंटर और/या कंपनी एक पक्ष है और कोई अन्य समझौता या दस्तावेज जिसे कंपनी ऋण दस्तावेज नामित करती है;

**'Loan Tenure'** shall mean the tenure of the Loan as specified in Schedule;
**'ऋण अवधि'** का तात्पर्य अनुसूची में निर्धारित ऋण की अवधि है;

**'Outstanding Dues'** means, at any time, all the amounts outstanding and payable or obligations to be performed by the Borrower to the Company, pursuant to the terms of this Agreement and/or any other Loan Documents, including but not limited to the following;
a. the principal amount(s) of the Loan;
**'बकाया राशि '** का मतलब है, किसी भी समय, इस समझौता और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेज की शर्तों के अनुसार,**ऋणी**, द्वारा कंपनी को दी जाने वाली सभी बकाया और चुकाई जाने वाली **राशि** या देनदारियां, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

a. ऋण का मूलधन;

b. the interest on the Loan;

ऋण पर ब्याज;

c. all other obligations and liabilities of the Borrower, compensations, liquidated damages, costs, charges, expenses and other fees and interest incurred under, arising out of or in connection with this Agreement and/or any other Loan Documents (either severally or jointly); and

ऋणी के अन्य सभी दायित्व और देनदारियां, मुआवजे, परिनिर्धारित हर्जाना, लागत, शुल्क, व्यय और इस अनुबंध और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत या उनके संबंध में (अलग-अलग या संयुक्त रूप से) उत्पन्न हुए अन्य शुल्क और ब्याज;" और

d. any and all expenses or sum incurred by the Company for the enforcement of and collection of any amounts due under this Agreement and/or any other Loan Documents including expenses of enforcement and realisation

कंपनी द्वारा इस अनुबंध और/या अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत देय किसी भी राशि की वसूली तथा प्रवर्तन के लिए किए गए सभी खर्चे या व्यय, जिनमें प्रवर्तन एवं वसूली/वास्तविकीकरण से संबंधित खर्चे भी शामिल हैं।

**'Penal Charges'** shall have the meaning ascribed to it in clause 8 of this Agreement:

"**दण्डात्मक शुल्क**" का मतलब, इस ऋण समझौते के अनुच्छेद 8 में बताया गया है।

'Prepayment' means repayment of part or full Loan drawn by the Borrower ahead of the Due Date/s which does not amount to Preclosure.

'**पूर्वभुगतान**' का मतलब है उधारकर्ता लिए गए ऋण का कुछ हिस्सा या पूरी राशि का नियत तारीख/तारीखों से पहले भुगतान कर देता है, जो प्रीक्लोजर नहीं माना जाता है।

'Preclosure' means premature repayment of the entire Outstanding Dues in the loan account before the expiry of the Loan Tenure.

'**पूर्व-समापन**' का अर्थ है ऋण अवधि समाप्त होने से पहले ऋण खाते में संपूर्ण बकाया राशि का समय से पहले पुनर्भुगतान।

'Preclosure Charge' means the amount payable by the Borrower to the Company as penalty for Preclosure, details of which are provided in Schedule;

**'पूर्व-समापन शुल्क'** से तात्पर्य पूर्व-समापन के लिए दंड के रूप में **ऋणी** द्वारा कंपनी को देय राशि है, जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है;

'Repayment Modes' means the payment of the Instalments and the Outstanding Dues, as the case may be, on or before the Due Dates(s), by any of the following modes, which options are set out in Schedule:

**'पुनर्भुगतान विधि'** का मतलब है किश्तों और बकाया राशि का, मामले के अनुसार, नियत तिथियों पर या उससे पहले, नीचे दिए गए किसी भी तरीके से भुगतान करना, जिसके विकल्प अनुसूची में दिए गए हैं:

a. ECS/NACH/E-NACH;

   ECS/NACH/E-NACH;

b. NEFT/RTGS;

   NEFT/RTGS;

c. Standing instructions at the bank; and

   बैंक में स्थायी निर्देश; और

d. Any other instrument available from time to time and is explicitly agreed by the Company.

   समय-समय पर उपलब्ध कोई भी अन्य **प्रपत्र** और जिस पर कंपनी की स्पष्ट सहमति हो।

   'RBI' means the Reserve Bank of India;
   **'RBI'** का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है;

**'Sanction Letter'** means the letter issued by the Company to the Borrower sanctioning the Loan and it mentions relevant particulars, terms and conditions of the Loan

**"स्वीकृति पत्र"** का मतलब है कंपनी द्वारा **ऋणी** को दिया जाने वाला वह पत्र जिसमें उसके ऋण अनुरोध को स्वीकार करने की बात कही गई हो और जिसमें उस ऋण से जुड़े विवरण, नियम और शर्तें शामिल होती हैं।

**'Schedule'** means the Schedule to this Agreement.

**"अनुसूची"** का मतलब है इस ऋण समझौते की अनुसूची।

**'Welcome Letter'** means the letter issued by the Company to the Borrower, after the execution of this Agreement, highlighting the most important obligations of the Borrower arising out of this Agreement.

**'स्वागत पत्र'** का मतलब है, इस समझौता का निष्पादन होने के बाद कंपनी की तरफ से **ऋणी** को जारी किया गया पत्र, जिसमें **ऋणी** की इस समझौता से उतपन्न होने वाली सबसे ज़रूरी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया गया होता है।

**(b) Interpretation**
**व्याख्या**

a. All capitalised words and expressions used anywhere in this Agreement shall have the meaning as ascribed to such words and expressions defined by inclusion in quotation and parenthesis

इस समझौता में कहीं भी इस्तेमाल किए गए सभी **बड़े** अक्षरों वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही मतलब होगा जो उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को उद्धरण और कोष्ठक में शामिल करके **परिभाषित** किया गया है।

b. Unless the context otherwise requires,words denoting the singular shall include the plural and vice- versa;

जब तक संदर्भ में कुछ अन्य अपेक्षित न हो, एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और **इसका** विपरीत भी **(बहुवचन में एकवचन शामिल होगा)**;

c. the table of contents, headings and the use of bold typeface, are inserted for ease of reference and shall be ignored in the construction and interpretation of the Agreement;

विषय-सूची, शीर्षक और बोल्ड टाइपफेस का उपयोग, संदर्भ में आसानी के लिए डाला गया है और समझौते के निर्माण और व्याख्या में इसे अनदेखा किया जाएगा;

d. a reference to a Clause or Schedule is, unless indicated to the contrary, a reference to a Clause or Schedule to this Agreement;

किसी खंड या अनुसूची का संदर्भ, जब तक इसके विपरीत संकेत न दिया गया हो, इस समझौते के किसी खंड या अनुसूची का संदर्भ है;

e. references to this Agreement shall be construed as references also to any separate or independent stipulation or agreement contained in it;

इस समझौते के संदर्भों को इसमें निहित किसी भी अलग या स्वतंत्र अनुबंध या समझौते का संदर्भ भी समझा जाएगा;

f. references to the word 'includes' or 'including' shall be construed without limitation;

'शामिल है' या 'सहित' शब्द का संदर्भ असीमित समझा जाएगा;

g. words importing a particular gender include all genders;

किसी विशेष लिंग के लिए प्रयुक्त शब्दों में सभी लिंग शामिल हैं;

h. reference to any legislation or law or to any provision thereof shall include references to any such law as it may, after the date hereof, from time to time, be amended, supplemented or re-enacted, and any reference to statutory provision shall include any subordinate legislation made from time to time under that provision;

किसी विधान या कानून अथवा उसके किसी प्रावधान के संदर्भ में ऐसे किसी कानून का संदर्भ शामिल होगा जिसे इसकी अधिसूचना की तिथि के पश्चात समय-समय पर संशोधित, पूरक या पुनः अधिनियमित किया गया हो सकता है और वैधानिक प्रावधान के किसी संदर्भ में उस प्रावधान के अंतर्गत समय-समय पर बनाया गया कोई अधीनस्थ विधान शामिल होगा;

i. Any determination with respect to the occurrence or continuance of event, occurrence, circumstance, change, fact, information, document, authorisation, proceeding, act, omission, claims, breach, default that constitute an Event of Default, the opinion of the Company shall be final and conclusive and be binding on the Borrower and Guarantor.

आयोजन, घटना, हालात, बदलाव, तथ्य, जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकार, कार्रवाई, कृत्य, चूक, दावे, उल्लंघन, डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट की घटना मानी जाती है, के होने या बने रहने के बारे में किसी भी निर्धारण के संबंध में कंपनी की राय अंतिम और सम्पूर्ण होगी तथा ~~उधारकर्ता~~ **ऋणी** और गारंटर पर बाध्यकारी होगी।

**2. LOAN:**

**2** ऋण:

a. **The Borrower agrees to borrow from the Company and the Company agrees to make available and extend to the Borrower, at its sole and absolute discretion, the Loan, for an amount as mentioned in the Schedule, for the purpose as mentioned in the Loan Application, on the terms and conditions contained in this Agreement and in other Loan Documents.**

**ऋणी** कंपनी से ऋण लेने के लिए सहमत है और कंपनी, अपनी मर्ज़ी से, ऋण आवेदन में उलिखित उद्देश्य के लिए, इस समझौते और अन्य ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर, **ऋणी** को अनुसूची में उल्लिखित रकम का ऋण मंजूर और संवितरित करने के लिए सहमत है।

b. **The Borrower agrees that the proceeds of the Loan shall be utilized for the reason mentioned in the Loan Application and the Schedule hereunder ('Purpose') and in accordance with applicable law.**

~~उधारकर्ता~~ **ऋणी** सहमत है कि ऋण से मिले पैसे का इस्तेमाल ऋण आवेदन और नीचे दी गई अनुसूची ('**उद्देश्य**') में बताए गए कारण के लिए और लागू कानून के अनुसार किया जाएगा।

**3. DISBURSEMENT:**

3 **संवितरण:**

a. The disbursement of the Loan may be made directly to the Borrower in one lump sum as per the details provided under the Loan Application and Schedule, subject to the terms and conditions contained herein.

ऋण का संवितरण (disbursement), ऋण आवेदन और अनुसूची के तहत प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, सीधे **ऋणी** को एकमुश्त राशि (lump sum) में किया जा सकता है, जो इसमें निहित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

b. The disbursement of the Loan shall be made in accordance with the National Electronic Funds Transfer ('NEFT')/Real Time Gross Settlement ('RTGS') business hours as notified by the RBI from time to time. The Company shall not in any event or circumstance be liable or be construed as being liable in case there is any delay(s) in disbursement of the Loan.

ऋण का संवितरण, RBI द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर ('NEFT')/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ('RTGS') के कारोबार समय में किया जाएगा। कंपनी किसी भी स्थिति या परिस्थिति में ऋण के संवितरण में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी या जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी।

c. The Loan amount specified in the Schedule shall be disbursed to the Borrower(s) in full in the first disbursement. The Borrower is entitled to prepay the disbursed/withdrawn amount as per his/her discretion. Subject to Prepayment of the Loan on or before the Due Date/s, the Borrower can withdraw amount from the loan account up to the Drawing Limit for the relevant month.

अनुसूची में उल्लिखित ऋण राशि का, **ऋणी** को संवितरण पहले संवितरण में ही **पूर्ण रूप से** किया जाएगा। **ऋणी** को संवितरित /निकाली गई रकम राशि अपनी इच्छा के अनुसार पूर्वभुगतान करने का अधिकार है। नियत तारीख पर या उससे पहले ऋण के **समय-पूर्व** पूर्वभुगतान के आधार पर, **ऋणी** ऋण खाते से संबंधित माह के लिए निकासी सीमा तक **राशि** निकाल सकता है।

d. The Drawing Limit will be arrived on the basis of deduction of the Dropline Amount along with other withdrawals from the relevant Drawing Limit and addition of principal prepaid by Borrower in the Drawing Limit.

निकासी सीमा अन्य निकासियों के साथ ड्रापलाइन राशि संबंधित निकासी सीमा में से घाटाकर और **ऋणी** द्वारा पूर्वभुगतान किया गया मूलधन निकासी सीमा में जोड़ कर प्राप्त होगी।

e. Drawing Limit shall be communicated to the Borrower in the Welcome Letter or such other mode as decided by the Company which shall become a part and parcel of Loan Documents.

निकासी सीमा के बारे में **ऋणी** को स्वागत पत्र में या ऐसे अन्य तरीके से सूचित किया जाएगा जो कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो ऋण दस्तावेजों का अभिन्न अंग बन जाएगा।

**4. INTEREST:**

4 **ब्याज:**

i The Borrower shall pay interest on the Loan on the Due Date at the applicable Interest Rate. Subject to the commencement of Due Date with respect to the Loan, all interest accruing on the principal amount not yet due under the Loan shall accrue from day to day and shall be calculated on a reducing balance based on the relevant repayment schedule or on actual number of days lapsed as the case may be.

**ऋणी** को नियत तारीख पर लागू ब्याज दर से ऋण पर ब्याज देना होगा। ऋण के संबंध में नियत तारीख शुरू होने पर, ऋण के तहत मूलधन पर लगने वाला पूरा ब्याज जो अभी तक देय नहीं हुआ है, हर दिन लगता रहेगा और इसकी गणना संबंधित पुनर्भुगतान अनुसूची के आधार पर घटती शेष राशि पर या वास्तव में बीते हुए दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

b. Subject to Clause 4(c) of this Agreement, the Interest Rate stipulated in the Schedule shall remain fixed during the Loan Tenure. इस समझौता के खंड 4(c) के तहत, अनुसूची में तय ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहेगी।

c. The Company shall be entitled to revise the Interest Rate at any time and from time to time as per its policy, if any, during the Loan Tenure, at its sole discretion or due to change in the regulatory requirements including any guidelines/regulations issued by RBI and such revised Interest Rate shall be deemed to form part of the Loan and the Borrower shall also be liable to pay such revised amount of interest on the Loan in such manner and within such period as may be determined by the Company in its sole discretion. Any revision in the Interest Rate shall be effective from a prospective date and the Company shall provide a prior written notice osuch revision to the Borrower and the same shall be binding on the Borrower and Guarantor.
**कंपनी ऋण अवधि के दौरान, अपने विवेक से या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश/नियमों सहित नियामक आवश्यकताओं में बदलाव के कारण, अपनी नीति के अनुसार किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज दर को संशोधित करने की हकदार होगी। ऐसी संशोधित ब्याज दर को ऋण का हिस्सा माना जाएगा और ऋणी, ऋण पर ब्याज की ऐसी संशोधित राशि का भुगतान करने के लिए उसी तरीके से और उसी अवधि के भीतर उत्तरदायी होगा जैसा कि कंपनी द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जाए। ब्याज दर में कोई भी संशोधन भविष्य की तारीख (prospective date) से प्रभावी होगा और कंपनी ऋणी को सात दिन पहले लिखित रूप में सूचित करेगी और यह ऋणी तथा गारंटर पर बाध्यकारी होगा।**

**3. ADMIN & PROCESSING FEE:**

**प्रशासनिक एवं प्रसंस्करण शुल्क:**

The Borrower has expressed his consent without any coercion or undue influence to pay to the Company all charges in relation to the processing and sanctioning of the Loan as mentioned in the Schedule of this Agreement as agreed by the Borrower at the time of submitting the application to the Company. The admin & processing fee shall not be refundable to the Borrower under any circumstances, even if the Loan is not availed or not granted by the Company subsequent to sanction of a loan.

उधारकर्ता किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना, ऋण की प्रोसेसिंग और स्वीकृति के संबंध में, इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित सभी शुल्कों का कंपनी को भुगतान करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता है, **जिनका उल्लेख इस समझौते की अनुसूची (Schedule) में किया गया है और जिन्हें कंपनी को आवेदन जमा करते**

**समय ऋणी द्वारा स्वीकार किया गया था**। प्रशासनिक एवं प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में **ऋणी** को वापस नहीं लौटाया जाएगा, भले ही ऋण स्वीकृत होने के बाद ~~ऋण~~ **ऋण का लाभ न उठाया गया हो या कंपनी द्वारा ऋण प्रदान न किया गया हो।**

**6. REPAYMENT:**

6 **पुनर्भुगतान:**

a. The Borrower agrees to pay the Instalments and the Outstanding Dues to the Company on or before the Due Date using the Repayment Modes as set out in **Schedule.**

~~उधारकर्ता~~ **ऋणी**, अनुसूची में उल्लिखित पुनर्भुगतान विधि का इस्तेमाल करके, नियत तारीख पर या उससे पहले कंपनी को किश्तें और बकाया चुकाने के लिए सहमत है।

b. The Borrower shall be liable to pay the interest only on the Due Date in the event of the availability of Drawing Limit on the relevant Due Date of a month. However, on a particular Due Date of the relevant month, if no Drawing Limit is available, the Borrower is liable to pay interest together with the differential amount between the Dropline Amount and the Drawing Limit available in the preceding Due Date.

**महीने की संबंधित नियत तारीख (Due Date) पर 'निकासी सीमा' (Drawing Limit) उपलब्ध होने की स्थिति में, ऋणी केवल नियत तारीख पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, यदि संबंधित महीने की किसी विशेष नियत तारीख पर कोई निकासी सीमा उपलब्ध नहीं है, तो ऋणी, ब्याज के साथ-साथ 'ड्रॉपलाइन राशि' (Dropline Amount) और पिछली नियत तारीख पर उपलब्ध 'निकासी सीमा' के बीच की अंतर राशि (differential amount) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"**

c. The Company will share the repayment schedule to the Borrower along with Welcome Letter and the same will also be shared with the Borrower by the Company, on the revision of repayment schedule consequent to the Prepayment or withdrawal of Loan amount, through electronic/such other mode as decided by the Company and the repayment schedule shall be part and parcel of Loan Documents.

कंपनी उधारकर्ता को पुनर्भुगतान अनुसूची स्वागत पत्र के साथ साझा करेगी और ऋण राशि के पूर्वभुगतान या निकासी के कारण पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव होने पर भी, कंपनी इसे इलेक्ट्रॉनिक/कंपनी द्वारा तय किए गए किसी दूसरे **माध्यम** से ~~उधारकर्ता~~ **ऋणी** के साथ साझा करेगी और पुनर्भुगतान अनुसूची ऋण दस्तावेजों का अभिन्न हिस्सा होगी।

d. Preclosure request of Borrower in writing may be allowed by the Company at its sole discretion, on such terms as to Preclosure as it may prescribe and on receipt of Preclosure Charge in full.

~~उधारकर्ता~~ **ऋणी** के लिखित पूर्व-समापन अनुरोध को कंपनी ~~अपनी मर्जी से~~ **द्वारा अपने विवेक पर स्वीकार किया जा सकता है,**, ~~पूर्व-समापन के लिए तय शर्तों पर और पूरा पूर्व-समापन शुल्क मिलने पर मंज़ूरी दे सकती है।~~ **जो कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीक्लोज़र की शर्तों और प्रीक्लोज़र शुल्क (Preclosure Charge) के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति के अधीन होगा।"**

e. The Preclosure request shall be submitted in writing to the Company 21 (twenty one) days before the proposed date of Preclosure by the Borrower. Preclosure cannot be made until the period specified in the Schedule.

पूर्व-समापन अनुरोध, उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में पूर्व-समापन की प्रस्तावित तारीख से 21 (इक्कीस) दिन पहले कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी। पूर्व-समापन अनुसूची में उल्लिखित अवधि तक नहीं किया जा सकता।

f. The Preclosure is subject to realisation of the cheques/mandate shown in the statement of account and Preclosure Charges on the assumption that all the payments have been remitted towards the Loan Agreement, failing which, the same will be reversed and become payable along with cheque/mandate bounce charges, Penal Charges and other charges as applicable.

**समय-पूर्व बंदी (Preclosure) खाते के विवरण (statement of account) में दिखाए गए चेक/जनादेश (mandate) के भुनाने (realisation) और इस धारणा पर कि सभी भुगतान ऋण समझौते के तहत भेज दिए गए हैं, प्रीक्लोज़र शुल्क की प्राप्ति के अधीन है; ऐसा न होने पर, इन्हें वापस (reverse) कर दिया जाएगा और ये चेक/जनादेश बाउंस शुल्क, दंडात्मक शुल्क (Penal Charges) और अन्य लागू शुल्कों के साथ देय होंगे**

g. On Preclosure of Loan, no Drawing Limit will be available to the Borrower.

ऋण के पूर्व-समापन पर, उधारकर्ता को निकासी सीमा उपलब्ध नहीं होगी।

h. In the event of the Borrower failing to pay the principal amount of the Loan and/or interest and /or any other amount payable under this Agreement and/or balance of the Loan as the case may be on or before the respective Due Dates under this Agreement, the

Company shall classify the loan account as special mention account (SMA)/ non performing account (NPA) or under such other category as per the applicable guidelines of the Reserve Bank of India (RBI) at the end of Due Date. The basis for classification of SMA and NPA categories and the example for the same are as mentioned in the Schedule.

यदि **ऋणी** इस समझौते के तहत संबंधित नियत तारीखों पर या उससे पहले ऋण की मूल राशि और/या ब्याज और/या इस समझौते के तहत देय किसी अन्य राशि और/या ऋण की शेष राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कंपनी नियत तारीख के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाते को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए)/ गैर निष्पादित खाता (NPA) या ऐसी अन्य श्रेणी के तहत वर्गीकृत करेगी। SMA और NPA श्रेणियों में वर्गीकरण का आधार और उसका उदाहरण अनुसूची में दिया गया है।

**7. MODE OF REPAYMENT:**

7 **पुनर्भुगतान का तरीका:**

a. The instructions for the Mandate as provided by the Borrower shall be open ended and will cover the maximum principal amount under the Loan and other Outstanding Dues thereon. The Company may, at the request of the Borrower in writing, agree to change the Repayment Mode. The Borrower understands and agrees that an Annual Maintenance Charge shall have to be paid by the Borrower on an annual basis at the rate as mentioned in **Schedule.**

**ऋणी** द्वारा दिए गए अधिदेश के निर्देश ओपन एंडेड होंगे और यह ऋण के तहत अधिकतम मूलधन और उस पर अन्य बकाया ~~रकम~~ **राशि** को कवर करेंगे। कंपनी, **ऋणी** के लिखित अनुरोध करने पर, पुनर्भुगतान विधि बदलने के लिए सहमत हो सकती है। **ऋणी** **यह** समझता है और सहमत है कि ~~उधारकर्ता~~ **ऋणी** को **अनुसूची** में उल्लिखित दर पर सालाना रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।

b. In the event the Borrower defaults in payment of the Instalment/Outstanding Dues or the credit rating of the Borrower falls below the required criteria fixed by the Company as per its internal policy or the Borrower or for any other reason deemed fit by the Company, the Company shall be entitled to disallow further withdrawals under the Loan.

– **ऋणी** द्वारा किस्त/बकाया **राशि** चुकाने में चूक करने पर या **ऋणी** की क्रेडिट रेटिंग कंपनी की आंतरिक नीतियों के अनुसार तय आवश्यक मानदंडों से नीचे चली जाने पर या **ऋणी** के बेरोज़गार हो जाने /नौकरी से निकाल दिये जाने पर या कंपनी को उचित लगने वाले किसी और कारण से, कंपनी ऋण के तहत आगे से पैसे निकालने की अनुमति रद्द कर सकती है और कंपनी मासिक किस्त में ऐसे बदलाव कर सकती है कि **ऋणी** मूलधन और ब्याज की रकम कंपनी को चुका दे और उधारकर्ता सहमत है कि वह कंपनी द्वारा अपनी मर्ज़ी से बदले गए पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार बदली हुई किस्त चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होगा। किस्त और पुनर्भुगतान अनुसूची में ऐसा बदलाव आगामी तारीख से लागू होगा और कंपनी इसके बारे में उधारकर्ता को इस समझौते के खंड 4(c) के अनुसार सूचित करेगी। उधारकर्ता सहमत है और पुनर्भुगतान अनुसूची में किसी भी बदलाव की स्थिति में कंपनी को तुरंत नया अधिदेश जारी करने का वादा करता है।

c. Notwithstanding anything contained in this Agreement, the Company has a right to take action against the Borrower in case of default by the Borrower in payment of Monthly Instalments through Mandates. The Borrower confirms having perused, understood the Company's method of calculating the interest on the Loan on reducing balance rate and also the calculation of the Monthly Instalments and setting of Drawing Limit.

इस समझौते में किसी भी उल्लेख के बावजूद, अगर अधिदेश के माध्यम से मासिक किस्त के भुगतान में उधारकर्ता द्वारा चूक होती है, तो कंपनी को उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है। उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने कंपनी का ऋण पर घटती शेष दर पर ब्याज की गणना करने का तरीका और मासिक किस्तों की गणना करने और निकासी सीमा निर्धारित करने का तरीका भी पढ़ और समझ लिया है।

d. Notwithstanding anything contained in this Agreement, the Company may at any time in its sole discretion and without assigning any reason whatsoever, call upon the Borrower to pay the Outstanding Dues and thereupon the Borrower shall pay the entire Outstanding Dues to the Company without any delay or demur. The liability of the Borrower to the Company shall not be discharged until and unless the Borrower has paid or discharged the Outstanding Dues owed to the Company under this Agreement.

इस समझौते में किसी भी उल्लेख के बावजूद, कंपनी किसी भी समय अपनी मर्ज़ी से और कोई कारण बताए बिना, उधारकर्ता से बकाया राशि चुकाने के लिए कह सकती है और इसके बाद उधारकर्ता किसी देरी या आपत्ति के बिना कंपनी को पूरा बकाया राशि चुका देगा। जब तक उधारकर्ता इस समझौते के तहत पूरी बकाया राशि का कंपनी को भुगतान नहीं कर देता है, कंपनी के प्रति उधारकर्ता की देनदारी तब तक खत्म नहीं होगी।

e. The Instalments shall automatically change by reason of change in any rates, taxes, charges, imposts, levies and monies whatsoever that are or may be levied on the Instalments or the transaction contemplated hereunder or may become payable by the Borrower by virtue of this Agreement. Such change in the Instalments due to change in the rates, taxes, charges, imposts, levies and monies as stated above shall be effected only prospectively and the same shall automatically form part of the Loan.

इसके अलावा, इस समझौते के आधार पर उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली किस्तों पर या इसके तहत लेनदेन पर लगाई गयी या लगाई जा सकने वाली, किन्हीं भी दरों, करों, शुल्कों, महसूलों, लेवी और/या किसी अन्य धनराशि में बदलाव के कारण किस्तें स्वचालित रूप से बदल जाएंगी। उपरोक्त दरों, करों, शुल्कों, महसूलों, लेवी और धनराशि में बदलाव के कारण किश्तों में ऐसा बदलाव सिर्फ़ आगामी तारीखों से ही लागू होगा और यह स्वचालित रूप से ऋण का हिस्सा बन जाएगा।

f. Any dispute or difference of any nature whatsoever shall not entitle the Borrower to withhold or delay payment of any Instalments or other sum and the Company shall be entitled to present the Mandates to the bank of the Borrower on the Due Dates.

किसी भी तरह का कोई भी विवाद या मतभेद, उधारकर्ता को किसी भी किश्त या अन्य रकम का भुगतान रोकने या देरी करने का अधिकार नहीं देगा और कंपनी नियत तारीखों पर उधारकर्ता के बैंक को अधिदेश प्रस्तुत करने की हकदार होगी।

g. The Borrower understands, confirms and agrees that the Company shall, at its sole discretion, at multiple occasions and on different dates, present in the Borrower's bank account, the Mandate or any other electronic or other clearing Mandate (given by the Borrower in favour of the Company covering all the Outstanding Dues) which returns unpaid, for recovering the Outstanding Dues from the Borrower and until realization of all Outstanding Dues. The Borrower agrees and undertakes that the Borrower shall not dispute, complain or object to such presentations by the Company.

**उधारकर्ता** यह समझता, पुष्टि करता तथा सहमत होता है कि कंपनी को अपने एकमात्र एवं पूर्ण विवेकाधिकार पर, एक से अधिक अवसरों पर तथा अलग-अलग तिथियों को, **उधारकर्ता** के बैंक खाते में, **उधारकर्ता** द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए ऐसे अधिदेश (Mandate) अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन अधिदेश (Clearing Mandate), जो समस्त बकाया देय राशियों (Outstanding Dues) को आच्छादित करता है, को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, भले ही ऐसा अधिदेश पूर्व में अप्रदत्त/अनादरित (Unpaid/Dishonoured) होकर वापस हो चुका हो, ताकि **उधारकर्ता** से समस्त बकाया देय राशियों की वसूली की जा सके। कंपनी को समस्त बकाया देय राशियों की पूर्ण एवं अंतिम वसूली/प्राप्ति होने तक उक्त अधिदेश को बार-बार प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

**उधारकर्ता** सहमत होता है तथा वचन देता है कि वह कंपनी द्वारा इस प्रकार किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण (Presentation) के संबंध में कोई विवाद, आपत्ति या शिकायत नहीं करेगा तथा ऐसे किसी प्रस्तुतीकरण को चुनौती नहीं देगा।

h. The Borrower understands and agrees that return of Mandate or any other electronic or other clearing Mandate, will result in Bounce Charges being added to the Outstanding Dues. Notwithstanding anything contained in this Agreement, levy of cheque/ mandate Bounce Charges shall not preclude the Company from enforcing its rights or remedies under the Payments and Settlement Systems Act, 2007 or under any other Applicable Law.

उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि अधिदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन अधिदेश के अप्रदत्त/अनादरित वापस होने पर, बकाया देय राशियों में बाउंस शुल्क जुड़ जाएगा। इस अनुबंध में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, बाउंस शुल्क लगाए जाने से कंपनी के उन अधिकारों अथवा विधिक उपचारों (Remedies) के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्हें कंपनी को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payments and Settlement Systems Act, 2007) अथवा किसी अन्य लागू कानून (Applicable Law) के अंतर्गत प्राप्त हैं।

i. It is agreed and understood by the Borrower that non-presentation of any of the Mandate by the Company due to any reason whatsoever shall not affect the liability of the Borrower to repay the amount payable under this Agreement. The Company shall not, in any way, be responsible for the delay, omission or neglect in encashment, damage or loss of any Mandates (already given or to be given by the Borrower to the Company in terms hereof) for any reason whatsoever.

उधारकर्ता सहमति देता और समझता है कि किसी भी कारण से कंपनी द्वारा कोई चेक/अधिदेश प्रस्तुत न किए जाने से, उधारकर्ता द्वारा इस ऋण समझौते के तहत देय राशि चुकाने की देनदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी किसी भी तरह से, किसी भी कारण से किसी भी अधिदेश (जो उधारकर्ता द्वारा कंपनी को पहले ही दिया जा चुका है या दिया जाएगा) को भुनाने में देरी, चूक या लापरवाही, क्षति या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।

j. All sums payable by the Borrower to the Company shall be paid without any deductions whatsoever at such place or through any payment mode as the Company may specify and shall be paid so as to enable the Company to realise the sum on or before the Due Date.

उधारकर्ता द्वारा कंपनी को भुगतान की जाने वाली सभी रकम किसी कटौती के बिना, कंपनी द्वारा निर्धारित स्थान पर या भुगतान विधि का उपयोग कर के और ऐसे तरीके से भुगतान की जाएगी कि ~~रकम~~ संबंधित राशि की वास्तविक प्राप्ति ~~नियत तारीख~~ देय तिथि पर या उससे पहले कंपनी को ~~वसूल~~ प्राप्त हो जाए।

**8. PENAL CHARGES:**

8 **दंडात्मक शुल्क:**

**Without prejudice to the Company's rights of termination and any other rights under this Agreement, the Borrowers shall pay to the Company, Penal Charges levied, on the amounts under default, at the rate mentioned in the Schedule hereof, on occurrence of any delay in payment of the installment/s or any other Outstanding Dues from the Due Date to the date of actual full payment of such defaulted amounts to the satisfaction of the Company ("Penal Charges")**

कंपनी के इस अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त समाप्ति संबंधी अधिकारों (Rights of Termination) तथा अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता /_.kकर्ताओं द्वारा किस्त/किस्तों अथवा किसी अन्य बकाया देय राशि (Outstanding Dues) के भुगतान में देय तिथि (Due Date) से कोई विलंब होने की स्थिति में, चूक की गई राशियों पर, इस अनुसूची (Schedule) में उल्लिखित दर से दंडात्मक शुल्क (Penal Charges) का भुगतान कंपनी को किया जाएगा। ऐसे दंडात्मक शुल्क की गणना संबंधित चूक की गई राशि पर देय तिथि से लेकर ऐसी चूक की गई राशि के कंपनी की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण एवं वास्तविक भुगतान किए जाने की तिथि तक की जाएगी ("दंडात्मक शुल्क" / "Penal Charges")

**9. APPROPRIATION:**

**9. विनियोजन:**

The Company shall have a right to appropriate any payment due and payable under the Loan Agreement and made by the Borrower towards dues in any order the Company deems fit, towards the following:

~~कंपनी को ऐसे किसी भी भुगतान को जो इस ऋण समझौते~~ अनुबंध ~~के तहत बकाया और भुगतान योग्य होगी और जिसे उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा, कंपनी को उचित लगने वाले क्रम में, निम्नलिखित मदों में विनियोजित करने का अधिकार होगा:~~

कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह ऋण अनुबंध (Loan Agreement) के अंतर्गत देय एवं भुगतान योग्य तथा ऋणी द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को, कंपनी द्वारा उचित समझे गए किसी भी क्रम में, निम्नलिखित में से किसी भी बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित (Appropriate) कर सके:

a. Repayment of principal due.

देय मूलधन की बकाया राशि का पुनर्भुगतान।

b. Interest.

ब्याज।

c. Penal Charges.

दंडात्मक प्रभार

d. Interest on costs, charges, expenses and other monies.

लागत, शुल्क, खर्च और अन्य पैसों पर लगने वाला ब्याज।

e. Costs, charges, expenses and other monies.

लागत, शुल्क, खर्च और अन्य देय राशियाँ।

**10. EVENTS OF DEFAULT:**

**10 चूक की घटनाएं:**

(a) The Borrower shall be deemed to have committed an act of default if the Borrower does not comply with his/her obligations as mentioned in this Agreement and also on the happening of any one or more of the following events, (each an 'Event of Default' and collectively 'Events of Default'):

ऋणी द्वारा इस अनुबंध में उल्लिखित अपने दायित्वों का अनुपालन न करने की स्थिति में, अथवा निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक घटनाओं के घटित होने पर, ऋणी द्वारा चूक की गई मानी जाएगी (प्रत्येक को एक **"चूक की घटना" (Event of Default)** तथा सामूहिक रूप से **"चूक की घटनाएँ" (Events of Default)** कहा जाएगा):

a. If the Borrower fails to pay any Instalments or the Outstanding Dues under this Agreement on or before the Due Date or commits breach of any of the terms, covenants or conditions contained in this Agreement

यदि ऋणी इस समझौते के तहत कोई भी किस्त या बकाया राशि नियत तारीख पर या उससे पहले नहीं चुकाता है या इस अनुबंध में उल्लिखित किसी भी शर्त, वचनबद्धता (Covenant) या उपबंध का उल्लंघन करता है।

b. If it is found that the Borrower commits a default of any of the terms and conditions in respect of any other loan or facility provided by the Company and/or any Affiliates of the Company;

यदि पाया जाता है कि उधारकर्ता ने कंपनी और/या कंपनी के किसी संबद्ध निकाय द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य ऋण या सुविधा के संबंध में किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है;

c. If there exists any circumstances which in the opinion of the Company prejudicially affects or may affect the Company's interest or the Borrower's ability to repay the Loan;

यदि ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान होती है, जो कंपनी की राय में, कंपनी के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है अथवा कर सकती है, या ऋणी की ऋण का पुनर्भुगतान करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है अथवा कर सकती है।

d. In the opinion of the Company, the Borrower/Guarantor have withheld any critical information in relation to the Loan;

कंपनी की राय में, उधारकर्ता/गारंटर द्वारा ऋण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है;

e. If the Borrower/Guarantor repudiates or evidences an intention to repudiate this Agreement or any other related document;

अगर उधारकर्ता/गारंटर इस ऋण समझौते या इससे जुड़े किसी अन्य दस्तावेज़ को अस्वीकार कर देता है या अस्वीकार किए जाने का-आशय दर्शाता है

f. If the Borrower/Guarantor disputes any of the terms under this or any other agreement entered into with the Company; or

अगर उधारकर्ता/गारंटर कंपनी के साथ किए गए इस या किसी अन्य समझौते की किसी भी शर्त पर विवाद करता है; या

g. If the Loan or any part thereof is utilized for any purpose other than the purpose for which it is applied by the Borrower and sanctioned by the Company;

अगर ऋण या उसके किसी हिस्से को उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए उधारकर्ता ने इस ऋण का आवेदन किया था और कंपनी ने उसे स्वीकार किया था; या

h. If the status of the Borrower or Guarantor changes from resident to non resident;

अगर उधारकर्ता या गारंटर की स्थिति, निवासी से अनिवासी में बदल जाती है;

i. If any attachment, distress, execution or other process against the Borrower/ Guarantor is enforced or levied upon;

अगर उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ कोई जब्ती, कुर्की, निष्पादन या अन्य कोई विधिकप्रक्रिया लागू या कार्यान्वित की जाती है;

j. If the Borrower or the Guarantor is charged or convicted by any Court of law or Government authorities for any offence;

अगर उधारकर्ता या गारंटर पर किसी न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है या दोषी ठहरा दिया जाता है;

k. On the death/lunacy or any other legal in capacity of the Borrower/Guarantor;

उधारकर्ता/गारंटर की मृत्यु होने / पागलपन या कानूनी रूप से अक्षम होने पर;

l. If the Borrower compounds with his/her creditors or permits any attachment or other processes against any of his/her assets or properties;

यदि उधारकर्ता अपनी किसी संपत्ति या संपदा के संबंध में अपने लेनदारों के साथ कोई सुलह समझौता करता है या किसी कुर्की या अन्य प्रक्रिया की अनुमति देता है;

m. if the Borrower/ Guarantor commits an act of insolvency, winding up, voluntary or otherwise, failure in business or if the Borrower and/or Guarantor is/are declared insolvent or bankrupt or if a receiver or official assignee is appointed in respect of any property or

estate of the Borrower/Guarantor or if the Borrower/ Guarantor asks for any application for declaring himself an insolvent or if an application for declaring the Borrower/Guarantor as insolvent is made or any order is passed by any competent count or authority for taking the Borrower/ Guarantor into insolvency or filing of any petition for winding up of the Borrower/Guarantor and not being withdrawn within 30 days of being admitted;

=

यदि **उधारकर्ता** /गारंटर द्वारा दिवालियापन (Insolvency) का कोई कृत्य किया जाता है, अथवा **उधारकर्ता** /गारंटर का स्वैच्छिक परिसमापन (Winding Up) किया जाता है, या उसके व्यवसाय में विफलता होती है, अथवा **उधारकर्ता** और/या गारंटर को दिवालिया (Insolvent) या दिवालियाग्रस्त/दिवालिया घोषित (Bankrupt) किया जाता है; अथवा **उधारकर्ता** /गारंटर की किसी संपत्ति या संपदा (Property or Estate) के संबंध में कोई रिसीवर (Receiver) या आधिकारिक समनुदेशिती (Official Assignee) नियुक्त किया जाता है; अथवा **उधारकर्ता** /गारंटर स्वयं को दिवालिया घोषित किए जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत करता है; अथवा **उधारकर्ता** /गारंटर को दिवालिया घोषित किए जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है; अथवा किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा **उधारकर्ता** /गारंटर को दिवालियापन की कार्यवाही के अधीन किए जाने के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाता है; अथवा **उधारकर्ता** /गारंटर के परिसमापन (Winding Up) हेतु कोई याचिका दायर की जाती है और ऐसी याचिका के स्वीकार किए जाने की तारीख से **30 (तीस) दिनों** के भीतर उसे वापस नहीं लिया जाता है।

(b) If any event of default or any event which would constitute an event of default happens, the Borrower shall forthwith give the Companynotice thereof within 3 (Three) days in writing specifying the occurrence of such event of default. The Borrower/Guarantor shall also promptly inform the Company if and when any statutory notice under any law or of any suit or legal process intended to be filed/initiated against the Borrower/Guarantor is received by the Borrower/Guarantor within 3 (Three) days of receipt of such notice.

यदि कोई चूक की घटना (Event of Default) अथवा ऐसी कोई घटना घटित होती है, जो चूक की घटना का गठन करती हो, तो **उधारकर्ता** ऐसी चूक की घटना के घटित होने की सूचना कंपनी को **तत्काल और किसी भी स्थिति में 3 (तीन) दिनों के भीतर लिखित रूप में** देगा, जिसमें ऐसी चूक की घटना के घटित होने का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा।

उधारकर्ता /गारंटर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यदि किसी कानून के अंतर्गत कोई वैधानिक नोटिस, अथवा उधारकर्ता /गारंटर के विरुद्ध दायर या प्रारंभ की जाने वाली किसी वाद (Suit) या अन्य विधिक कार्यवाही/प्रक्रिया से संबंधित कोई नोटिस उधारकर्ता /गारंटर को प्राप्त होता है, तो उधारकर्ता /गारंटर ऐसे नोटिस की प्राप्ति के **3 (तीन) दिनों के भीतर** कंपनी को इसकी तत्काल सूचना देगा।

(c) On the question of whether any of the above events/circumstances has occurred, the decision of the Company shall be final, conclusiveand binding on the Borrower and Guarantor.

उपरोक्त घटनाओं/परिस्थितियों में से कोई घटना घटित हुई है या नहीं, इस मामले में कंपनी का निर्णय, अंतिम, निर्णायक, और उधारकर्ता/गारंटर के लिए बाध्यकारी होगा।

**11. TERMINATION AND COMPANY'S OTHER RIGHTS:**

11. **समाप्ति और कंपनी के अन्य अधिकार:**

Upon the **occurrence** of the Event of Default and at any time thereafter, if any such event shall be continuing, the Company may:

**[डिफ़ॉल्ट की घटना (Event of Default) घटित होने पर तथा उसके पश्चात किसी भी समय, जब तक ऐसी घटना जारी रहती है, कंपनी निम्नलिखित कार्य करने की हकदार होगी:"**:

a. **Notice:** In case of any default in repayment including an occurrence of any of the aforesaid Events of Default, the Company shall cause a 7 days' notice to be issued to the Borrower/Guarantor at his address as registered with the Company. The notice shall be deemed to be served on the Borrower/Guarantor on the second working day following the date of posting or the actual date of receipt whichever is earlier even if the notice so served returns unserved for whatever reason and the confirmation from any authorized officer of the Company for having posted the notice to the Borrower/Guarantor shall be final and binding in this regard.

**नोटिस:** पुनर्भुगतान में किसी भी तरह की चूक होने पर, जिसमें उपरोक्त कोई भी चूक की घटना शामिल है, कंपनी उधारकर्ता/गारंटर को उसके कंपनी में पंजीकृत पते पर 7 दिन का नोटिस जारी करेगी। वह नोटिस उसे करने की तारीख के बाद दूसरे कार्य दिवस को या जिस तारीख को वह नोटिस असल में प्राप्त होती है, इनमें से जो भी पहले होगा, उधारकर्ता/गारंटर को वह नोटिस दे दी गई माना जाएगा, भले ही वह नोटिस किसी कारण से उसे न मिल पाई

हो और वापस आ गई हो, और वह नोटिस **उधारकर्ता**/गारंटर को भेज दिए जाने के सम्बन्ध में कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी की पुष्टि को इस संबंध में अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

b. accelerate the repayment of the Loan including the Outstanding Dues;

ऋण की पुनर्भुगतान अवधि को समाप्त करते हुए, ऋण सहित समस्त बकाया देय राशियों (Outstanding Dues) के **तत्काल एवं शीघ्र पुनर्भुगतान** की मांग करना।

c. place the Loan on demand or declare all the Outstanding Dues payable by the Borrower in respect of the Loan to be due and payable immediately;

ऋण को मांग पर देय (Loan on Demand) करना अथवा ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा देय समस्त बकाया देय राशियों (Outstanding Dues) को **तत्काल देय एवं भुगतान योग्य** घोषित करना।

d. recover the charges for dishonour of the Repayment Modes, Penal Charges and any other penal charges from the Borrower as mentioned in Schedule;

पुनर्भुगतान के साधनों (Repayment Modes) के अनादरण/अस्वीकृत होकर वापस होने पर लगने वाले शुल्क (Dishonour Charges), दंडात्मक शुल्क (Penal Charges) तथा अनुसूची (Schedule) में उल्लिखित किसी भी अन्य दंडात्मक शुल्क की वसूली ऋणी से करना।

e. terminate this Agreement;

इस समझौते को समाप्त कर सकती है;

f. exercise such other rights and remedies as may be available to the Company under law during the pendency of the Loan including without limitation under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 and under Section 25 of Payment and Settlement Systems Act, 2007; and/or

ऋण लंबित रहने के दौरान लागू कानून के तहत कंपनी को उपलब्ध हो सकने वाले अन्य अधिकारों और उपायों का उपयोग कर सकती है, जिसमें असीमित रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 25,; के अंतर्गत उपलब्ध अधिकार एवं विधिक उपचार भी शामिल हैं और/या

g. stipulate such other condition(s) or take such other action(s) as the Company deems fit.

कंपनी द्वारा उचित समझी जाने वाली ऐसी अन्य शर्त/शर्तें निर्धारित करना अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई/कार्रवाइयाँ करना, जिन्हें कंपनी अपने विवेकानुसार उचित एवं आवश्यक समझे।

**12. COMPANY'S OTHER RIGHTS:**

12. **कंपनी के अन्य अधिकार:**

a. Without prejudice to all other rights as the Company or any of the third parties appointed by the Company may have under this Agreement and under law, on the occurrence of an Event of Default, the Company, its authorised representatives, agents, and third parties as appointed by the Company are authorised to use the contact details provided by the Borrower/Guarantor to get in touch with the Borrower/Guarantor (including the third parties including the family members of the Borrower/Guarantor) whose information the Borrower/Guarantor has provided to the Company. Also, the Borrower/Guarantor may be sent reminders from time to time for settlement of any Outstanding Dues by post, fax, telephone, email, SMS text messaging or through whatsapp message to mobile number.

कंपनी अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त किसी तृतीय पक्ष को इस अनुबंध तथा लागू कानून के अंतर्गत प्राप्त अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी **चूक की घटना (Event of Default)** के घटित होने पर, कंपनी, उसके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट तथा कंपनी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष, **उधारकर्ता** /गारंटर द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए संपर्क विवरणों का उपयोग करते हुए **उधारकर्ता** /गारंटर से संपर्क करने के लिए अधिकृत होंगे। इसमें वे तृतीय पक्ष भी शामिल हैं, जिनमें **उधारकर्ता** /गारंटर के परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं, जिनकी जानकारी **उधारकर्ता** /गारंटर द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।
इसके अतिरिक्त, किसी भी बकाया देय राशि (Outstanding Dues) के निपटान/भुगतान हेतु **उधारकर्ता** /गारंटर को समय-समय पर डाक, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस (SMS) टेक्स्ट संदेश अथवा मोबाइल नंबर पर व्हाट्सऐप (WhatsApp) संदेश के माध्यम से अनुस्मारक (Reminders) भेजे जा सकते हैं।

b. Without prejudice to the rights of the Company to initiate any legal proceedings for recovery of the outstanding, the Borrower and the Guarantor expressly accepts that the Company shall be entitled to appoint third parties as it may deem fit and such third parties can carry out all or any of its functions, rights and powers under this Loan Agreement including the authority to collect dues by the Borrower, without any prior consent of the borrower.

कंपनी के बकाया देय राशियों (Outstanding Dues) की वसूली हेतु किसी भी विधिक कार्यवाही को प्रारंभ करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, **उधारकर्ता** तथा गारंटर स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि कंपनी को अपनी आवश्यकता एवं विवेकानुसार ऐसे तृतीय पक्षों को नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिन्हें कंपनी उचित समझे। ऐसे नियुक्त तृतीय पक्षों को इस ऋण अनुबंध (Loan Agreement) के अंतर्गत कंपनी के सभी या किसी भी कार्य, अधिकार

एवं शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, जिसमें **उधारकर्ता** से बकाया देय राशियों की वसूली करने का अधिकार भी शामिल है, और इसके लिए **उधारकर्ता** की किसी पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

c. Notwithstanding the above the Company is authorised at any time, without presentment, demand, protest or other notice of any kind to the Borrower/Guarantor, any such notice being expressly waived, to set off and to appropriate and apply any and all monies lying or deposited or held by the Company. The Borrower/Guarantor agrees, declares and confirms that, notwithstanding any of the provisions of Applicable Law, or any terms and conditions to the contrary contained in this Agreement, the Company may, at its absolute discretion, appropriate any payments made by the Borrower/Guarantor under this Agreement or any amounts realised by the Company by enforcement of security or otherwise, towards the dues payable by the Borrower to the Company under this Agreement and/or other agreements entered into between the Borrower/Guarantor and the Company and in any manner whatsoever.

उपर्युक्त के बावजूद, कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय, ऋणी/गारंटर को किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना, प्रस्तुतीकरण (Presentment), मांग (Demand) अथवा विरोध/प्रोटेस्ट (Protest) किए बिना, तथा ऐसी किसी भी सूचना की आवश्यकता को ऋणी/गारंटर द्वारा स्पष्ट रूप से माफ किए जाने के आधार पर, कंपनी के पास पड़ी, जमा या धारित किसी भी और समस्त धनराशि को समायोजित (Set-off), विनियोजित (Appropriate) तथा उपयोग/समायोजित कर सके।
ऋणी/गारंटर सहमत होते हैं, घोषणा करते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि लागू कानून (Applicable Law) के किसी भी प्रावधान अथवा इस अनुबंध में इसके विपरीत निहित किसी भी नियम एवं शर्त के बावजूद, कंपनी अपने पूर्ण एवं एकमात्र विवेकाधिकार से, ऋणी/गारंटर द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत किए गए किसी भी भुगतान अथवा कंपनी द्वारा प्रतिभूति (Security) के प्रवर्तन (Enforcement) या अन्यथा प्राप्त/वसूल की गई किसी भी राशि को, इस अनुबंध और/या ऋणी/गारंटर तथा कंपनी के बीच किए गए किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत ऋणी द्वारा कंपनी को देय बकाया राशियों के विरुद्ध, कंपनी द्वारा उचित समझे गए किसी भी क्रम एवं किसी भी प्रकार से, विनियोजित/समायोजित कर सकती है।

d. In the event of the Borrower committing a default in the repayment of Outstanding Dues on the Due Dates, the Company shall have an unqualified right to disclose the name of the Borrower/Guarantor to RBI, Credit information companies and any other agency authorised in this behalf by RBI. The Borrower/Guarantor gives its consent to the Company and/or RBI and/ or Credit information companies to publish his/their name as defaulters in such manner and through such medium in their absolute discretion may think fit.

यदि **उधारकर्ता** द्वारा देय तिथियों (Due Dates) पर बकाया देय राशियों (Outstanding Dues) के पुनर्भुगतान में कोई चूक (Default) की जाती है, तो कंपनी को यह पूर्ण एवं अबाधित अधिकार होगा कि वह **उधारकर्ता** /गारंटर का नाम **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies)** तथा इस संबंध में RBI द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट/प्रेषित कर सके।
**उधारकर्ता** /गारंटर कंपनी और/या RBI और/या क्रेडिट सूचना कंपनियों को इस बात के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है कि वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, जिस प्रकार और जिस माध्यम से उचित समझें, **उधारकर्ता** / गारंटर का नाम **डिफॉल्टर/चूककर्ता** के रूप में प्रकाशित, प्रकट या प्रसारित कर सकें।

e. In case there is a suspicion, indication of wrongdoing or fraudulent activity with respect to the loan and/or other financial transactions of the Borrower, the Company shall be entitled to conduct an audit on its own through its employee(s), agent(s) and/or an external audit through external auditor(s)/accountant(s) of Company's choice at the Borrower's costs and expenses. The Borrower shall allow the Company's employee(s), agent(s), accountant(s)/auditor(s) access to its office(s)/ premises and to all their records and furnish whatever information/records required by them for the purpose of the said audit. On the basis of the audit report(s) received by the Company from its employee(s), agent(s) and/or external auditor(s)/accountant(s) or on the basis of the relevant materials/records available with the Company and its own investigation / assessment in the event where the audit report(s) submitted remains inconclusive or is delayed due to non-cooperation by the Borrower, the Company shall conclude on status of the loan account as a fraud or otherwise. The Company will follow the extant guidelines of the RBI in concluding the status of loan account as a fraud or otherwise.

यदि ऋणी के ऋण और/या अन्य वित्तीय लेन-देन के संबंध में किसी प्रकार का संदेह, अनियमितता, कदाचार या धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का संकेत मिलता है, तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्मचारियों, एजेंटों के माध्यम से स्वयं लेखा-परीक्षा (Audit) कराए और/या अपनी पसंद के बाहरी लेखा-परीक्षकों/लेखाकारों (External Auditors/Accountants) के माध्यम से बाह्य लेखा-परीक्षा (External Audit) कराए। ऐसी लेखा-परीक्षा से संबंधित समस्त लागत एवं व्यय ऋणी द्वारा वहन किए जाएंगे।
ऋणी कंपनी के कर्मचारियों, एजेंटों, लेखाकारों/लेखा-परीक्षकों को अपने कार्यालय/परिसर में प्रवेश करने तथा अपने सभी अभिलेखों एवं रिकॉर्ड तक पहुँच प्रदान करेगा और उक्त लेखा-परीक्षा के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक जानकारी/अभिलेख उपलब्ध कराएगा।
कंपनी को अपने कर्मचारियों, एजेंटों और/या बाहरी लेखा-परीक्षकों/लेखाकारों से प्राप्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट/रिपोर्टों के आधार पर, अथवा ऐसी स्थिति में, जब ऋणी के असहयोग के कारण प्रस्तुत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट/रिपोर्टें निष्कर्षहीन रहती हैं या उनमें विलंब होता है, कंपनी के पास उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री/अभिलेखों तथा कंपनी द्वारा की गई अपनी जाँच/मूल्यांकन के आधार पर, यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि ऋण खाता **धोखाधड़ी (Fraud)** के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं।
कंपनी द्वारा ऋण खाते की स्थिति को धोखाधड़ी (Fraud) के रूप में वर्गीकृत करने अथवा अन्यथा निर्धारित करने के संबंध में **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर जारी लागू/प्रचलित दिशा-निर्देशों (Extant Guidelines)** का पालन किया जाएगा।

f. In the event of the Borrower is holding more than one loan account or the group company(ies) of the Borrower holding loan accounts with the Company, if one loan account of the Borrower is identified as a fraud by the Company, the Company shall be entitled to examine/conduct aforesaid audit with respect to the other accounts of Borrower/its group company(ies) wherein one or more promoter(s) / whole-time director(s) of the Borrower are common.

यदि कंपनी में उधारकर्ता के एक से अधिक ऋण खाते हैं या कंपनी में उधारकर्ता की समूह कंपनी या कंपनियों के भी ऋण खातें हैं, और यदि कंपनी को उधारकर्ता के किसी एक ऋण खाते में धोखाधड़ी का पता चलता है, तो जहाँ उधारकर्ता के एक या अधिक प्रमोटर/पूर्णकालिक निदेशक, ~~एक ही~~ समान हों, कंपनी को उधारकर्ता/उसकी समूह कंपनी या कंपनियों के अन्य खातों की जांच करने या उनके संबंध में उपरोक्त लेखा-परीक्षण करने का अधिकार होगा।

g. The Company shall also be entitled to report the incidents of fraud in the loan accounts of the Borrower/its group companies to appropriate law enforcement agency(ies) such as police, other relevant authorities and/or RBI.

कंपनी को उधारकर्ता या उसकी समूह कंपनियों के ऋण खातों में धोखाधड़ी की घटनाओं की उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस, अन्य संबंधित प्राधिकरणों और/या RBI को रिपोर्ट करने का भी अधिकार होगा।

**13. REPRESENTATIONS AND COVENANTS OF BORROWER/GUARANTOR :**

**13 उधारकर्ता/गारंटर के अभ्यावेदन और वचनबद्धताएं:**

The Borrower/Guarantor hereby represents and covenants that during the period of this Agreement:

उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा अभ्यावेदन करता और वचन देता है कि इस समझौते की अवधि के दौरान:

a. The Borrower/Guarantor has adequate legal capacity to enter into and execute this Agreement.The Borrower/Guarantor is not restricted or prevented in any manner under any law, statute, judgment, decree, ruling, contract or otherwise from executing and undertaking

the obligations in the manner provided in this Agreement. Upon execution, this Agreement shall be a valid and legally binding commitment of the Borrower/Guarantor enforceable against him in terms of this Agreement. The Borrower/Guarantor (in case of being a Company/partnership/other body corporate) is duly organised and existing under the laws of India with due power and authority to enter into this Agreement to which it is a party and their representatives are also duly authorized and it shall comply with all applicable laws binding on them or their business.

उधारकर्ता/गारंटर को यह **अनुबंध** करने और उसे पूरा करने का पूरा कानूनी अधिकार है। उधारकर्ता/गारंटर किसी भी कानून, विधान, निर्णय, डिक्री, व्यवस्था, अनुबंध या अन्य किसी भी प्रकार से इस ऋण **अनुबंध** में बताए गए तरीके से दायित्वों को ग्रहण और पूरा करने से किसी भी तरह प्रतिबंधित या वंचित नहीं किया गया है। इस **अनुबंध** के लागू हो जाने के बाद, यह उधारकर्ता/गारंटर के लिए एक वैध और कानूनी रूप से /गारंटर (यदि वह कंपनी/साझेदारी फर्म/अन्य कॉरपोरेट निकाय है) भारत के कानूनों के अधीन विधिवत गठित एवं अस्तित्व में है तथा उसे इस समझौते में प्रवेश करने के लिए, जिसमें वह एक पक्षकार है, समुचित शक्ति एवं अधिकार प्राप्त हैं। उसके प्रतिनिधि भी विधिवत अधिकृत हैं और ऋणी/गारंटर उन सभी लागू कानूनों का अनुपालन करेगा जो उस पर अथवा उसके व्यवसाय पर बाध्यकारी हैं।

b. The execution of this agreement is not in conflict with any law/constitutional documents, or with any other document which is binding on the Borrower/Guarantor.

इस समझौते को लागू करना, उधारकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी, किसी भी कानून/संवैधानिक दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज से टकराता नहीं है।

c. That all statement of accounts sent by the Company or by any other authorised representative of the Company are acceptable by the Borrower/Guarantor shall be conclusive proof of the correctness of any sum claimed to be due from the Borrower.

कंपनी या उसके किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजे जाने वाले सभी लेखा विवरण, उधारकर्ता और गारंटर को स्वीकार्य हैं, और उन्हें उधारकर्ता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि की सटीकता का प्रमाण माना जाएगा।

d. That absence or infirmity of borrowing powers on the part of the person representing the Borrower or any irregularity in the exercise thereof shall not affect the rights of the Company against the Borrower under this Agreement notwithstanding such absence, infirmity or irregularity. In case the Borrower is a company, the Borrower has the power to avail this facility and the total borrowings are within the prescribed limit. In case the Guarantor is a company, the Guarantor has the power/authority to guarantee the due performance of the terms of this Agreement by Borrower.

ऋणी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ~~उधार~~ ऋण लेने की शक्तियों का अभाव या उनमें कोई त्रुटि अथवा ऐसी शक्तियों के प्रयोग में कोई अनियमितता, ऐसी कमी, त्रुटि या अनियमितता के बावजूद, इस समझौते के अंतर्गत ऋणी के विरुद्ध कंपनी के अधिकारों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। यदि ऋणी एक कंपनी है, तो ऋणी के पास इस सुविधा (Facility) का लाभ उठाने की पूर्ण शक्ति है और उसके कुल उधार निर्धारित सीमा के भीतर हैं। यदि गारंटर एक कंपनी है, तो गारंटर के पास ऋणी द्वारा इस समझौते की शर्तों के समुचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए गारंटी प्रदान करने की आवश्यक शक्ति एवं प्राधिकार है।

e. Utilise the entire Loan only for the purpose mentioned in the Loan Application and Schedule hereunder and shall not use the same for illegal/antisocial activities and speculative purpose including investment in capital market which includes stocks, bonds and other financial securities or real estate or for purchase of gold in any form including primary gold, gold bullion, gold jewellery/coins, precious stones/metals, units of Exchange Traded Funds (ETF) and units of gold mutual fund. Without being obligated to do so, the Company shall be entitled to monitor the end use of the Loan including through any auditors or consultants with necessary certification from them, as appointed by the Company at its sole discretion at the cost of the Borrower.

उधारकर्ता ऋण आवेदन पत्र एवं नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही संपूर्ण ऋण राशि का उपयोग करेगा तथा इसका उपयोग किसी भी अवैध/असामाजिक गतिविधि या सट्टा उद्देश्य के लिए नहीं करेगा, जिसमें पूंजी बाजार में निवेश जैसे शेयर, बॉण्ड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ, अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) अथवा किसी भी रूप में सोना खरीदना शामिल है, जैसे प्राथमिक सोना, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण/सिक्के, कीमती पत्थर/धातुएँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की इकाइयाँ तथा गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ। कंपनी, ऐसा करने के लिए बाध्य न होते हुए भी, ऋण के अंतिम उपयोग की निगरानी करने की हकदार होगी, जिसमें कंपनी द्वारा अपने विवेकानुसार नियुक्त लेखा परीक्षकों या सलाहकारों के माध्यम से आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करना शामिल हो सकता है, जिसका खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

f. Shall obtain the prior written permission of the Company before borrowing any amount from other banks, financial institutions अन्य बैंकों, या वित्तीय संस्थानों से कोई भी राशि ऋण लेने से पहले कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

g. All particulars, representations, declarations and information given by the Borrower/Guarantor are true, correct, complete and up to date, valid and subsisting in all respects and no information has been withheld. The Borrower/Guarantor shall provide necessary

updation wherever required. Promptly notify the Company of any litigation, arbitration, administrative or other proceedings initiated against the Borrower/Guarantor.

उधारकर्ता द्वारा दिए गए सभी विवरण, अभ्यावेदन, घोषणाएं और सूचनाएं सत्य, सटीक, सम्पूर्ण, और अपटूडेट होने के साथ-साथ हर तरह से वैध और ~~विद्यमान~~ प्रभावी हैं तथा कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। उधारकर्ता/गारंटर, जरूरत पड़ने पर, आवश्यक अपडेट प्रदान करेगा। उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ शुरू हुई किसी भी मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाहियों के बारे में कंपनी ~~की~~ को तुरंत जानकारी देगा।

h. The Borrower/Guarantor confirms that her/his/their family members/close relatives are not a politically exposed person as defined by the KYC guidelines of RBI. The Borrower/Guarantor further undertakes to intimate the Company immediately upon any change in the above status.

उधारकर्ता/गारंटर पुष्टि करता है कि उसके/उनके परिवार के सदस्य/करीबी रिश्तेदार, RBI KYC दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित **राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति (Politically Exposed Person – PEP)** नहीं हैं। उधारकर्ता/गारंटर यह भी वचन देता है कि उपरोक्त स्थिति में कोई भी परिवर्तन होने पर वह उसके बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करेगा।

i. The Borrower hereby undertakes that he/she shall not engage directly or indirectly in any activity which is in the exclusion list of the institutions such as International Finance Corporation and Asian Development Bank or engage in any activity which could endanger or adversely impact the social and economic environment of the country.

उधारकर्ता एतद्द्वारा वचन देता/देती है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा/होगी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं की बहिष्करण सूची में शामिल हैं या ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा जो देश के सामाजिक और आर्थिक माहौल को खतरे में डाल सकती हैं या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

j. That the Company has a right of lien on all related accounts of the Borrower/Guarantor including such other accounts that may be entered into later/found to be related to the Borrower/Guarantor later (related accounts in this regard shall mean and include all

accounts where the Borrower is a Guarantor and the Guarantor is a Borrower, under any financial facility availed from the Company). The Company shall be entitled to withhold the issuance/handling over of NOC/form -35, original title deeds/documents, no due letter and/or discharge the mortgage created on the property relating to the assets of Borrower hypothecated/mortgaged under the vehicle and/or other secured loans if any availed by the Borrower as long as there is any continuing event of default by the Borrower/Guarantor under this Loan including such other agreements that may be entered into later/found to be related to the Borrower/Guarantor under any financial facility availed from CIFCL. Accordingly, the Borrower/Guarantor hereby agrees and acknowledges that they shall be entitled to obtain the NOC/form-35, title deeds/documents, no due letter and request discharge of the said mortgage only upon full and final settlement of all outstanding dues/ charges across all agreements entered into by the Borrower/Guarantor.

कंपनी को ऋणी/गारंटर के सभी संबंधित खातों पर **धारणाधिकार (Lien)** का अधिकार होगा, जिसमें ऐसे अन्य खाते भी शामिल होंगे जो बाद में खोले जाएं अथवा बाद में ऋणी/गारंटर से संबंधित पाए जाएं। इस संबंध में, "संबंधित खाते" से आशय और इसमें वे सभी खाते शामिल होंगे जिनमें ऋणी, कंपनी से प्राप्त किसी वित्तीय सुविधा के अंतर्गत गारंटर है और गारंटर, ऋणी है।
कंपनी इस ऋण के अंतर्गत ऋणी/गारंटर द्वारा किसी भी निरंतर चूक (Continuing Event of Default) की स्थिति में, ऋणी द्वारा वाहन ऋण और/या अन्य सुरक्षित ऋणों के अंतर्गत, यदि कोई हो, गिरवी रखी गई/बंधक रखी गई परिसंपत्तियों से संबंधित संपत्ति के संबंध में **NOC/Form-35, मूल टाइटल डीड/दस्तावेज, नो-ड्यू लेटर (No Due Letter)** जारी करने/सौंपने तथा/या उक्त संपत्ति पर सृजित बंधक को मुक्त करने से तब तक रोकने की हकदार होगी, जब तक ऐसी चूक जारी रहती है। यह प्रावधान ऐसे अन्य समझौतों पर भी लागू होगा जो बाद में किए जाएं अथवा बाद में ऋणी/गारंटर से संबंधित पाए जाएं और जो CIFCL से प्राप्त किसी वित्तीय सुविधा के अंतर्गत हों।
तदनुसार, ऋणी/गारंटर एतद्द्वारा सहमत होते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे **NOC/Form-35, टाइटल डीड/दस्तावेज, नो-ड्यू लेटर** प्राप्त करने तथा उक्त बंधक को मुक्त करने का अनुरोध केवल तभी कर सकेंगे जब ऋणी/गारंटर द्वारा किए गए सभी समझौतों के अंतर्गत सभी बकाया राशियों/प्रभारों का पूर्ण एवं अंतिम निपटान कर दिया गया हो।

k. The Borrower/Guarantor shall observe and perform all its obligations and covenants under this Agreement.

ऋणी /गारंटर इस करार के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों एवं अनुबंधों (Covenants) का पालन करेगा/करेंगे तथा उन्हें पूरा करेगा/करेंगे।

l. The Borrower shall ensure timely payment of the Instalments to the Company and ensure that the Repayment Modes issued towards payment of the Instalments are honoured on presentation. It is the duty of the Borrower to ensure that his/her bank account has been debited towards the Instalments and in case of his/her account not been so debited, the Borrower shall be obliged to inform the Company in this regard within 3 (three) Business Days from the Due Date of such Instalment.

उधारकर्ता कंपनी को किश्तों का समय पर भुगतान करेगा और यह भी ~~पक्का~~ सुनिश्चित करेगा कि किश्तों के भुगतान के लिए जारी किए गए पुनर्भुगतान साधनों को प्रस्तुत किए जाने पर उनका विधिवत भुगतान हो। उधारकर्ता के बैंक खाते से किस्तों की राशि डेबिट हो गई है, यदि उक्त किश्त की राशि उसके बैंक

खाते से डेबिट नहीं होती है, तो ऋणी ऐसे किश्त की नियत तिथि (Due Date) से **3 (तीन) कार्य दिवसों** के भीतर इस संबंध में कंपनी को सूचित करने के लिए बाध्य होगा।

m. The Borrower/Guarantor shall promptly notify the Company of any change in the Borrower's/Guarantor's address, phone number, employer name, email address.

उधारकर्ता/गारंटर के पते, फ़ोन नंबर, नियोक्ता का नाम, ईमेल पता में कोई भी बदलाव होने पर, उधारकर्ता/गारंटर को इस बदलाव के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करेंगे।

n. That the Borrower is Indian citizen ordinarily residing in India and will continue to remain so during the tenure of this loan.

उधारकर्ता भारत का नागरिक है जो सामान्यतः भारत में ही निवास करता है और इस ऋण की अवधि के दौरान भी भारत में ही निवास करता रहेगा।

o. The Borrower confirms that he/she shall ensure availability of funds in the bank account and that the Borrower will not at any time close his/her bank account until the full and final payment of the Outstanding Dues has been made to the Company by the Borrower.

उधारकर्ता पुष्टि करता/करती है कि वह बैंक खाते में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा/करेगी और जब तक उधारकर्ता बकाया **देय** राशि का कंपनी को पूरा और अंतिम भुगतान नहीं कर देता/देती, तब तक उधारकर्ता अपना बैंक खाता बंद नहीं करेगा/करेगी।

p. The Borrower/Guarantor shall not change his/her name or change his/her bank account without prior written consent of the Company.

उधारकर्ता/गारंटर कंपनी की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना अपना नाम या बैंक खाता नहीं बदलेगा।

q. The Borrower/Guarantor shall pay/reimburse the Company against all expenses for any purpose relating to this Agreement including any taxes pertaining to this Agreement, or the Loan and enforcing the terms thereof.

उधारकर्ता/गारंटर इस अनुबंध से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा सभी खर्चों के लिए कंपनी को भुगतान/रिफंड प्रदान करेगा, जिसमें इस समझौते या ऋण और उसकी शर्तों को लागू करने से जुड़े कोई भी कर शामिल है।

r. The Borrower/Guarantor further declares that the information and data furnished bythe Borrower/Guarantor to the Company is true and correct.

उधारकर्ता/गारंटर यह भी घोषणा करते हैं कि उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी को दी गई सूचनाएं और आंकड़े सत्य एवं सही हैं।

s. The Borrower shall pay and bear all taxes, rates, duties, charges and other imposts and obligations, existing as well as in future, in respect of the product and the transaction hereunder.

उधारकर्ता उत्पाद और इसके अधीन लेनदेन से संबंधित सभी मौजूदा और ~~भावी~~ भविष्य में लगाए जाने वाले सभी करों, दरों, शुल्कों, प्रभारों और अन्य व्ययों और देनदारियों का वहन और भुगतान करेगा।

t. The Borrower/Guarantor shall do all such things and execute all such writings as the Company may require from time to time for

**ऋणी /** गारंटर, ऋण के पुनर्भुगतान को विधिवत रूप से या अधिक पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी आवश्यक कार्य करेगा/करेंगे तथा सभी ऐसे दस्तावेजों/लेखों को निष्पादित करेगा/करेंगे।

u. The Borrower/Guarantor hereby agrees and gives consent for the disclosure by the Company of all or any such;

उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा सहमत है और कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से सभी या किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण करने की स्वीकृति देता है

a. Information and data relating to the Borrower/Guarantor;

**उधारकर्ता**/गारंटर से संबंधित सूचना और डेटा;

b. Information or data relating to any credit facility availed of/to be availed, by the Borrower/Guarantor and

**उधारकर्ता**/गारंटर द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा, और

c. Default, if any, committed by the Borrower/Guarantor in discharge of his such obligation, as the Company may deem appropriate and necessary to disclose and furnish to Credit Information Company/ies and/or agency/ies authorized in this behalf by RBI or under any other Applicable Law;

उधारकर्ता/गारंटर द्वारा अपने दायित्व का पालन करने में होने वाली चूक की जानकारी, जिसके बारे में कंपनी, उचित और जरूरी लगने पर, क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियों और/या इस संबंध में RBI द्वारा या किसी अन्य लागू कानून के तहत अधिकृत एजेंसी/एजेंसियों को बता सकती है;

v. The Borrower/Guarantor undertakes that the Credit Information Company/ies and/or agency/ies so authorized may

उधारकर्ता/गारंटर वचन देता है कि क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियां और/या अधिकृत एजेंसी/एजेंसियां

i. Use, process the said information and data disclosed by the Company in the manner deemed fit by them; and ii. Furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit grantors or registered users, as may be prescribed by the Reserve Bank of India in this behalf.

i. कंपनी द्वारा दी गई कथित जानकारी और डेटा उन्हें उचित लगने वाले तरीके से उपयोग और प्रसंस्करण कर सकती हैं; और ii. उनके द्वारा प्रसंस्कृत की गई जानकारी और डेटा या तैयार किए गए उत्पादों को, सोच-विचार के लिए, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकती हैं।

The Borrower/Guarantor further agrees and gives consent for disclosure by the Company all or any of the information of the Borrower/Guarantor to group companies, subsidiaries or any other person as the Company may deem fit.

उधारकर्ता/गारंटर इस बात के लिए भी सहमत है और अपनी स्वीकृति देते हैं कि कंपनी, उधारकर्ता/गारंटर की सभी या कोई भी जानकारी, अपने समूह की कंपनियों, सहायक कंपनियों या किसी भी अन्य व्यक्ति को दे सकती है, जिसे भी कंपनी उचित समझती है।

b. The Borrower and Guarantor acknowledge that all the sums, interest, fees and Penal Charges are reasonable and that they represent a genuine pre-estimate of the loss likely to be incurred by the Company in an Event of Default.

उधारकर्ता और गारंटर मानते हैं कि सभी रकम, ब्याज, शुल्क और दण्ड शुल्क तार्किक हैं और वे चूक की स्थिति में कंपनी को होने वाले नुकसान का सही अनुमान दिखाते हैं।

x. The Borrower and Guarantor acknowledge that the Loan provided under this Agreement is for a commercial transaction and waive any defences or immunities available under applicable Law relating to the charging of Interest and Penal Charges.

ऋणी और गारंटर स्वीकार करते हैं कि इस अनुबंध के अंतर्गत प्रदान किया गया ऋण एक **वाणिज्यिक लेन-देन** के लिए है और लागू विधि के अंतर्गत ब्याज एवं दंडात्मक प्रभार (Penal Charges) लगाए जाने के संबंध में उपलब्ध किसी भी प्रतिरक्षा (Defence) या उन्मुक्ति (Immunity) के अधिकार का परित्याग करते हैं।

y. The Borrower and Guarantor also acknowledge that the Parties' rights and obligations and the practical and legal effects of this Agreement have been explained and that the Agreement is a fair agreement and is not the result of any fraud, duress, coercion or undue influence.

**ऋणी** और गारंटर यह भी स्वीकार करते हैं कि पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों तथा इस अनुबंध के व्यावहारिक और कानूनी प्रभावों को उन्हें समझा दिया गया है तथा यह अनुबंध एक **निष्पक्ष** अनुबंध है और यह किसी धोखाधड़ी, दबाव, बलपूर्वक प्रभाव, अनुचित दबाव अथवा अनुचित प्रभाव के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है।

z. That the Company shall have the right to classify the Borrower and/or the Guarantor, as the case may be, as wilful defaulter on occurrence of a wilful default and report the same to the credit information companies(CIC) and publish the name, photograph of the wilful defaulter (including proprietors/ partners / directors/promoters of the Borrower and/or the Guarantor/persons in charge/responsible for the management of the affairs of the Borrower and/or the Guarantor, who have been declared as wilful defaulters) in newspaper(s) and/or such other mode at its sole discretion as deem fit, in compliance with the extent regulations of Reserve Bank of India(RBI).

यह कि किसी **जानबूझकर की गई चूक (Wilful Default)** के घटित होने पर, कंपनी को, यथास्थिति, **उधारकर्ता (Borrower) और/या गारंटर (Guarantor)** को **जानबूझकर चूककर्ता (Wilful Defaulter)** के रूप में वर्गीकृत करने तथा उक्त वर्गीकरण की सूचना **क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies – CICs)** को देने का अधिकार होगा। कंपनी को यह अधिकार भी होगा कि वह ऐसे जानबूझकर चूककर्ता का **नाम एवं फोटोग्राफ**, जिसमें **उधारकर्ता** और/या गारंटर के **स्वामियों (Proprietors)/भागीदारों (Partners)/निदेशकों (Directors)/प्रवर्तकों (Promoters)** तथा ऋणी और/या गारंटर के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए **प्रभारी/उत्तरदायी व्यक्तियों**, जिन्हें जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया है, के नाम एवं फोटोग्राफ भी सम्मिलित हैं, को **समाचार-पत्रों में और/या कंपनी के एकमात्र विवेकाधिकारानुसार उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे अन्य माध्यमों से** प्रकाशित करने का अधिकार होगा, और यह सब **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर लागू विनियमों, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुपालन में** किया जाएगा।

The terms 'wilful default' and 'wilful defaulter' shall have the meaning as ascribed to it under the Reserve Bank of India (Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) Directions, 2024, as amended or repealed from time to time.

जानबूझकर चूक (Wilful Default)' **तथा** 'जानबूझकर चूककर्ता (Wilful Defaulter)'' इन शब्दों का वही मतलब होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक के (Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) Directions, 2024) के अंतर्गत उन्हें प्रदान किया गया है और जो समय-समय पर संशोधित या रद्द हो सकता है।

In respect of the classification of the wilful defaulter, the Borrower and Guarantor further covenants that:

**÷जानबूझकर चूककर्ता (Wilful Defaulter) के रूप में वर्गीकरण के संबंध में,** उधारकर्ता **(Borrower) और गारंटर (Guarantor) एतद्द्वारा यह वचन एवं करार करते हैं कि:**

i. Neither the Borrower nor any of its directors/promoters/partners/ persons in charge/responsible for the management of the affairs of the Borrower, have been declared to be a wilful defaulter. The Borrower shall not induct a person whose name appears in the wilful defaulters list of RBI/ CIC as director in case of it being a company or as a partner in case of it being a partnership firm or as in charge and responsible for the management of its affairs. In case such a person so appointed and continuing as director/partner/in charge of the Borrower is found to be a wilful defaulter, the Borrower shall take expeditious and effective steps for removal of that person as director /partner/ in charge and responsible for the management. It is clarified that under no circumstances, the Company shall renew/ enhance/ provide fresh credit facilities or restructure existing facilities provided to the Borrower so long as the name of its promoter and/or the director(s) and/or the person in charge and responsible for the management of the affairs of the entity remains in the list of wilful defaulters.

उधारकर्ता और उसके किसी निदेशक/प्रमोटर/पार्टनर/ उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार/प्रभार संभालने वाले व्यक्ति को जानबूझकर चूक करने वाला चूककर्ता घोषित नही किया गया है। उधारकर्ता, भारतीय RBI/CIC की जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ताओं की सूची में शामिल व्यक्ति को, एक कंपनी होने पर एक निदेशक के रूप में, एक पार्टनरशिप फर्म होने पर एक पार्टनर के रूप में, या इसके मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और प्रभार

संभालने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति को **उधारकर्ता** के निदेशक/पार्टनर/प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उस पद पर बना हुआ है और उस व्यक्ति को एक जानबूझकर चूक करने वाला चूककर्ता पाया जाता है, तो **उधारकर्ता** को उस व्यक्ति को निदेशक/पार्टनर/ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार या प्रभार संभालने वाले प्रभारी के पद से हटाने के लिए जल्द से जल्द कोई प्रभावी कदम उठाना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में जब तक **उधारकर्ता** के प्रमोटर और/या निदेशकों और/या इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ताओं की सूची में शामिल रहेगा, तब तक कंपनी द्वारा **उधारकर्ता** को दी गई ऋण सुविधाओं का नवीनीकरण या संवर्द्धन नहीं किया जाएगा या उसे नई ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी या मौजूदा सुविधाओं का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

ii. The Loan or any part thereof shall be utilised only for the purpose for which it is sanctioned and the Loan shall not be"diverted" or "siphoned off" or used for any other purposes. If the Company desires a specific certification from the Borrower's auditor(s) regarding diversion/siphoning of funds by the Borrower, the Company shall have the right to award a separate mandate to the auditor(s) of the Borrower for the purpose. However, if the Company so desires, Company shall be within its rights to get the Borrower's accounts audited by any of its employee(s)/the chartered accountant(s)/ auditor(s) of Company's choice for checking diversion/siphoning of funds, if any, at the Borrower's costs and expenses. The Borrower shall allow the Company's employee(s), chartered accountant(s)/auditor(s) access to its office(s)/premises and to all their records and furnish whatever information/records required by them for the said purpose.

ऋण या उसके किसी हिस्से का उपयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है और उस ऋण का "विचलन" यानी अथवा **"अपवंचन/अन्यत्र अंतरण (Siphoning Off)"** नहीं किया जाएगा तथा उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।। यदि कंपनी, **उधारकर्ता** द्वारा इन ~~पैसों~~ निधियों के विचलन/ **अपवंचन** के संबंध में **उधारकर्ता** के लेखा परीक्षकों से कोई विशिष्ट ~~प्रमाणीकरण~~ प्रमाणन प्राप्त करना चाहती है, तो कंपनी को **उधारकर्ता** के लेखा परीक्षकों को एक अलग अधिदेश प्रदान करने का अधिकार होगा। हालांकि, यदि कंपनी चाहे तो, कंपनी अपने अधिकारों का प्रयोग करके, अपने कर्मचारी/कंपनी की पसंद के चार्टर्ड अकाउंटेंट/लेखापरीक्षक से इन ~~पैसों~~ निधियों के विचलन/ **अपवंचन** की जांच करने के लिए, **उधारकर्ता** की लागत और खर्च पर, **उधारकर्ता** के खातों का लेखा-परीक्षण करा सकती है। **उधारकर्ता**, उपरोक्त कार्य के लिए कंपनी के

कर्मचारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों या लेखा परीक्षकों को अपने कार्यालयों / परिसरों और अपने सभी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति देगा तथा उन्हें सभी जरूरी जानकारी/रिकॉर्ड्स प्रदान करेगा।

**14. LIABILITIES OF GUARANTOR:**

**14.गारंटर की जिम्मेदारियां:**

a. The Guarantor hereby guarantees to the Company that in the event of the Borrower failing to pay the Instalments on the Due Dates or discharge any of his liabilities under this Loan Agreement, the Guarantor assures, undertakes and holds himself liable to the Company to pay on demand any such amounts without dispute or demur. However, any failure or delay on the part of the Company to make a demand on the occurrence of any default shall not relieve the Guarantor of liability under this Loan Agreement.

गारंटर एतद्द्वारा कंपनी को गारंटी देता है कि यदि **उधारकर्ता**, देय तिथियों पर किस्तों का भुगतान करने या इस ऋण समझौते के तहत अपनी किसी देनदारी का भुगतान करने में असफल रहता है, तो गारंटर किसी विवाद या आपत्ति के बिना, कंपनी की मांग पर इस राशि का भुगतान करने का कंपनी को भरोसा देता है, वचन देता है और इसने के लिए खुद को उत्तरदायी मानता है। तथापि, किसी चूक (Default) के घटित होने पर कंपनी द्वारा मांग किए जाने में किसी भी प्रकार की **विफलता अथवा विलंब**, इस ऋण समझौते के अंतर्गत गारंटर को उसकी देयता से मुक्त नहीं करेगा।

b. The Guarantor's liability hereunder shall be co-extensive with that of the Borrower for all amounts remaining outstanding inclusive of Instalments, interest, Penal Charges, charges, fee, costs and any other dues whatsoever payable by the Borrower to the Company under this Loan Agreement.

इसके तहत गारंटर की देनदारी, **उधारकर्ता** की देनदारी के साथ जुड़ी **सह-विस्तृत** होगी जिसमें इस ऋण समझौते के तहत **उधारकर्ता** द्वारा कंपनी को चुकाई जाने वाली सभी राशियाँ सम्मिलित होंगी, जिनमें किस्तें, ब्याज, दंडात्मक शुल्क, प्रभार, शुल्क, लागत और कई अन्य बकाया राशियों सहित सभी बकाया राशियों का भुगतान करना भी शामिल है।

c. The Guarantor agrees that his liability shall be that of a primary obligor and not merely as a surety and the guarantee shall not be impaired or discharged by reason of any facility or time given by the Company to the Borrower or any indulgence or forbearance shown in payment of any dues or repayment of the said loan under this Loan Agreement or in respect of any security proposed to be created. The Guarantor further agrees that any such facility, time or indulgence granted or forbearance shown shall be deemed to have been given after due notice to and with the Guarantor's consent.

गारंटर सहमत है कि इस अनुबंध के अंतर्गत उसकी देयता, एक प्राथमिक **उधारकर्ता** के समान होगी, न कि सिर्फ एक जमानतदार की, और कंपनी द्वारा इस ऋण समझौते के तहत किसी बकाया राशि के भुगतान, या ऋण के पुनर्भुगतान में, या बनाने के लिए प्रस्तावित किसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में **उधारकर्ता** को कोई सुविधा या समय, या कोई रियायत या छूट दिए जाने के कारण, यह गारंटी प्रभावित या समाप्त नहीं होगी। गारंटर इस बात से भी सहमत है कि दी गई सुविधा, समय या रियायत या छूट को, गारंटर को उचित सूचना देने के बाद और उसकी सहमति से दी गई मानी जाएगी।

d. The Company's rights against the Guarantor shall remain in full force and effect notwithstanding any arrangement which may be reached between the Company and other Guarantor, if any, or notwithstanding the release of that other's liability, the Company shall be at liberty to require the performance by the Guarantor of his obligations hereunder to the same extent in all respects as if the Guarantor had at all times been solely liable to perform the said obligations.

गारंटर के विरुद्ध कंपनी के अधिकार पूर्णतः प्रभावी और प्रवर्तनीय बने रहेंगे, भले ही कंपनी और किसी अन्य गारंटर, यदि कोई हो, के बीच किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अथवा समझौता हो जाए, अथवा ऐसे अन्य गारंटर की देयता/दायित्व को समाप्त या मुक्त कर दिया गया हो। ऐसी किसी भी व्यवस्था अथवा अन्य गारंटर की देयता से मुक्ति के बावजूद, कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह गारंटर से इस समझौते के अंतर्गत उसके दायित्वों का **पूर्णतः उसी सीमा तक पालन एवं निष्पादन** करने की मांग करे, मानो गारंटर सदैव से उक्त दायित्वों के निष्पादन के लिए **एकमात्र रूप से उत्तरदायी** रहा हो।

e. The Guarantor hereby agrees that without his consent/concurrence, the Borrower and the Company shall be at liberty to vary, alter, or modify the terms and conditions of this Loan Agreement and in particular defer, postpone or revise the repayment of the Loan and/or payment of interest and other monies payable by the Borrower to the Company on such terms and conditions as may be

considered necessary by the Company including any increase in the rate of interest in accordance with the provisions of this Loan Agreement.

गारंटर एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है कि उसकी सहमति/अनुमति के बिना, **उधारकर्ता** और कंपनी को, इस ऋण समझौते की शर्तों और नियमों मेर फेरबदल करने, बदलने या संशोधित करने और विशेष रूप से **उधारकर्ता** द्वारा कंपनी को किए जाने वाले ऋण के पुनर्भुगतान और/या ब्याज और अन्य धनराशियों का भुगतान, कंपनी द्वारा जरूरी समझे जाने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, स्थगित करने, टालने या संशोधित करने का अधिकार होगा, जिसमें इस ऋण समझौते के प्रावधानों के अनुसार ब्याज दर में होने वाली वृद्धि भी शामिल है।

f. The Company shall have full liberty to exercise, without notice to the Guarantor and without in any way affecting this guarantee, at any time and in any manner any power or powers reserved to the Company under this Loan Agreement to enforce, or forbear to enforce payment of the installments or other monies due to the Company from the Borrower or any of the remedies, to enter into any composition or compound with or to grant time or any other indulgence or facility to the Borrower and the Guarantor shall not be released by the exercise by the Company of its liberty in regard to the matters referred to above or by any act or omission on the part of the Company or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of so releasing the Guarantors and the Guarantor hereby waives in favour of the Company so far as may be necessary to give effect to any of the provisions of this guarantee, all the suretyship and other rights which the Guarantor might otherwise be entitled to enforce.

कंपनी, गारंटर को कोई सूचना दिए बिना और इस गारंटी को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, किसी भी समय और किसी भी तरीके से इस ऋण समझौते के तहत कंपनी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके **उधारकर्ता** से कंपनी को देय किस्तों या अन्य धनराशियों का भुगतान प्राप्त करने–किस्तों अथवा अन्य धनराशियों के भुगतान को प्रवर्तित करना अथवा उनके भुगतान को प्रवर्तित करने से विरत रहना या **उधारकर्ता** को मोहलत या कोई अन्य छूट या सुविधा देने की पूरी आजादी होगी, और कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित मामलों में कंपनी के अधिकारों के प्रयोग के कारण या कंपनी के किसी भी कार्य या चूक के कारण

या जमानत संबंधी कानून के तहत गारंटर को मुक्त करने वाले किसी अन्य मामले या किसी अन्य कारण से गारंटर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा और गारंटर एतद्द्वारा कंपनी के पक्ष में, इस गारंटी के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने के लिए आवश्यक सीमा तक, उन सभी **जमानती अधिकारों (Suretyship Rights)** तथा अन्य अधिकारों का, जिन्हें गारंटर अन्यथा प्रवर्तित करने का हकदार हो सकता था, **परित्याग (Waiver)** करता है।

g. This guarantee shall be enforceable against the Guarantor not withstanding that any security or securities for the payment of the Loan shall at the time when the proceedings are taken against the Guarantor on this guarantee, be outstanding or un-realised or lost.

यह गारंटी गारंटर के विरुद्ध इस तथ्य के बावजूद **प्रवर्तनीय (Enforceable)** होगी कि इस गारंटी के आधार पर गारंटर के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के समय, ऋण के भुगतान के लिए प्रदान की गई कोई भी **प्रतिभूति अथवा प्रतिभूतियाँ (Security/Securities)** लंबित हों, उनसे वसूली न हुई हो अथवा वे **नष्ट/खो गई हों**

h. The Guarantor agrees that copy of the statement of accounts of the Company duly certified shall be binding on the Guarantor as the sums due and payable under this Loan Agreement.

गारंटर सहमत है कि कंपनी द्वारा विधिवत् **प्रमाणित लेखा विवरण (Statement of Accounts)** की प्रति, इस ऋण समझौते के अंतर्गत **देय एवं भुगतान योग्य राशियों** के संबंध में गारंटर पर **बाध्यकारी एवं निर्णायक** होगी।

i. The Guarantor's liability hereunder shall not in any way be affected by the bankruptcy or by any petition or resolution or order for bankruptcy of the Borrower being presented, passed or made or by any change in the constitution of the Company or the Borrower.

इसके तहत गारंटर की देनदारी पर, **उधारकर्ता** के दिवालियापन या दिवालिया घोषित करने के लिए प्रस्तुत, पारित की जाने वाली या पारित कर दी गई याचिका या प्रस्ताव या आदेश या कंपनी या **उधारकर्ता** के संघटन में होने वाले परिवर्तन का किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

j. The Guarantor hereby agrees and declares that the Borrower will be free to avail of further loans or other facilities in addition to the Loan and/or renew the same during the subsistence of this guarantee, in which event the guarantee herein contained will not be affected or vitiated in any way whatsoever but will remain in full force and effect and bind the Guarantor.

गारंटर एतद्द्वारा सहमत है और घोषणा करता है कि **उधारकर्ता**, इस गारंटी के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान, अतिरिक्त ऋण या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने और/या उन्हें नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा, और ऐसी स्थिति में, इस गारंटी में निहित गारंटी किसी भी प्रकार से **प्रभावित, क्षीण अथवा अवैध/निष्प्रभावी** नहीं होगी, बल्कि पूर्णतः प्रभावी एवं प्रवर्तनीय बनी रहेगी और गारंटर पर **बाध्यकारी** होगी।

k. The Guarantor hereby agrees that it shall not be necessary for the Company to exhaust its rights or take any action against the Borrower before requiring the Guarantor to make payment under this Loan Agreement.

गारंटर एतद्द्वारा सहमत है कि इस ऋण समझौते के अंतर्गत गारंटर से भुगतान की मांग करने से पूर्व कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह पहले **ऋणी के विरुद्ध अपने अधिकारों एवं उपचारों का पूर्णतः प्रयोग करे अथवा ऋणी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करे**। कंपनी, ऋणी के विरुद्ध ऐसी किसी कार्रवाई अथवा अपने अधिकारों/उपचारों को प्रवर्तित किए बिना ही, इस ऋण समझौते के अंतर्गत गारंटर से देय राशि का भुगतान करने की मांग करने की हकदार होगी।

l. The Guarantor agrees to make the payments due and payable under this guarantee when demanded by the Company notwithstanding that a dispute is pending between the Company and the Borrower in respect of any provision of this Loan Agreement or any other related or concerned document.

गारंटर इस गारंटी के तहत देय बकाया राशि कंपनी द्वारा मांग किए जाने पर भुगतान करने के लिए सहमत है, भले ही इस ऋण समझौते या इससे जुड़े किसी अन्य दस्तावेज के किसी प्रावधान के संबंध में कंपनी और **उधारकर्ता** के बीच कोई विवाद लंबित हो।

m. This guarantee shall be a continuing one and shall remain in full force and effect till such time the Borrower repays in full the loan together with all interests, penal charges, costs, charges and all other monies that may from time to time become due and payable andremaining unpaid to the Company under this Loan Agreement.

यह गारंटी **सतत गारंटी (Continuing Guarantee)** ऋण की समस्त राशि का, ब्याज, **दंडात्मक प्रभार (Penal Charges), लागत, प्रभार** तथा ऐसी अन्य सभी धनराशियों सहित, जो समय-समय पर इस ऋण समझौते के अंतर्गत कंपनी को देय एवं भुगतान योग्य हो जाएँ और जिनका भुगतान कंपनी को अभी तक नहीं किया गया हो, **पूर्णतः पुनर्भुगतान** नहीं कर दिया जाता।

n. The Guarantor agrees that notwithstanding any defect in or invalidation of this Loan Agreement and/ or incomplete documents or writings, this guarantee shall be valid and operative and the Guarantor shall not be discharged from his liability hereunder except by performance of this guarantee.

गारंटर सहमत है कि इस ऋण समझौते में किसी भी प्रकार की **त्रुटि, दोष अथवा अवैधता (Defect or Invalidation)** होने अथवा इस ऋण समझौते और/या संबंधित दस्तावेजों या लेखों के **अपूर्ण होने** के बावजूद, यह गारंटी पूर्णतः **वैध एवं प्रभावी** रहेगी और गारंटर इस गारंटी के अंतर्गत अपनी देयता से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत उसके दायित्वों का **पूर्णतः पालन एवं निर्वहन** नहीं कर दिया जाता।

o. This guarantee shall not be wholly or partially satisfied or exhausted by any payment made to or settled with the Company by the Borrower and shall be valid and binding on the Guarantor and operative until Repayment in full of all the monies due to the Company under this Loan Agreement.

यह गारंटी, **उधारकर्ता** द्वारा कंपनी को किए गए किसी भी भुगतान या निपटान के माध्यम से पूरी तरह या आंशिक रूप से संतुष्ट या समाप्त नहीं होगी और इस ऋण समझौते के तहत कंपनी को देय सभी धनराशि का पूरा पुनर्भुगतान होने तक यह वैध और गारंटर पर बाध्यकारी और प्रभावी रहेगी।

p. This guarantee shall be irrevocable and shall be in full force and effect notwithstanding that the Company may have obtained any other guarantee, corporate or personal; to secure the Loan till such time all the dues of the Company including repayment of the Loan along with interest and all other expenses and dues are paid by the Borrower. This guarantee shall be binding upon the Guarantor's heirs, executors and administrators.

यह गारंटी, **उधारकर्ता** द्वारा कंपनी के ऋण के पुनर्भुगतान के साथ-साथ ब्याज और अन्य सभी खर्चों और सभी बकाया राशियों का भुगतान कर दिए जाने तक, कंपनी को के ऋण को सुरक्षित करने के लिए कोई अन्य कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त होने के बावजूद, अपरिवर्तनीय और पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेगी। यह गारंटी, गारंटर के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों पर बाध्यकारी होगी।

q. The Guarantor agrees, at the request of the Company, to sign, seal, execute and deliver any deed or other documents that may be necessary or required by the Company, in connection with the Guarantors liability hereunder or the enforcement thereof

गारंटर, कंपनी के ~~कहने~~ अनुरोध पर, इस गारंटी के अंतर्गत गारंटर की देनदारी या ~~उसे लागू करने~~ उसके **प्रवर्तन** संबंध में कंपनी के लिए आवश्यक या अपेक्षित किसी भी विलेख या अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने, निष्पादित और वितरित करने के लिए सहमत ~~होना~~ है।

r. The absence or infirmity of borrowing powers on the part of the Borrower or any irregularity in the exercise thereof shall not affect the Guarantor's liability and any moneys advanced/lent to the Borrower by the Company shall be deemed to be due and owing notwithstanding such absence, infirmity or irregularity

उधारकर्ता के पास **ऋण लेने की शक्तियों (Borrowing Powers)** का अभाव अथवा ऐसी शक्तियों में कोई **कानूनी अक्षमता/दोष (Infirmity)** या उक्त शक्तियों के प्रयोग में कोई **अनियमितता (Irregularity)**, गारंटर की देयता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। ऐसी शक्तियों के अभाव, अक्षमता/दोष अथवा उनके प्रयोग में किसी अनियमितता के बावजूद, कंपनी द्वारा उधारकर्ता को **अग्रिम दी गई/ऋण के रूप में प्रदान की गई कोई भी धनराशि** इस प्रकार देय एवं बकाया मानी जाएगी और ऋणी द्वारा कंपनी को देय होगी।

s. The Guarantor further agrees and undertakes to pay to the Company all legal costs occasioned to Company by reason of omission, default in repayment by the Borrower and in case of legal costs, also the costs of enforcement or attempted enforcement of any security in favour of the Company against the loan or the costs which may incur by the Company being joined in any proceeding either with or without others in connection with any such security or any proceeds thereof.

गारंटर सहमत होता है और वचन देता है कि उधारकर्ता–द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में किसी **चूक, लोप अथवा विफलता** के कारण कंपनी को होने वाली सभी **विधिक लागतों एवं व्ययों (Legal Costs and Expenses)** का भुगतान कंपनी को करेगा। इसमें कंपनी के पक्ष में ऋण की प्रतिभूति के रूप में प्रदान की गई किसी भी **प्रतिभूति (Security)** के प्रवर्तन अथवा प्रवर्तन के प्रयास के संबंध में होने वाली सभी लागतें एवं व्यय भी सम्मिलित होंगे।
इसके अतिरिक्त, ऐसी किसी प्रतिभूति अथवा उससे प्राप्त किसी **आय/प्राप्ति (Proceeds)** के संबंध में कंपनी को किसी कार्यवाही में, चाहे अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से अथवा अकेले, पक्षकार बनाए जाने के कारण कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली सभी **लागतों एवं व्ययों** का भुगतान भी गारंटर द्वारा कंपनी को किया जाएगा।

t. The Guarantors agree and understand that the Guarantors shall not be entitled to delay the payment of the guaranteed amounts for any reason whatsoever or raise/look into or consider any controversy, question or dispute which may arise between the Company and Borrower as regard to the terms and conditions of the said Loan Agreement or the liability and/or payment of the amounts due thereunder

गारंटर सहमत हैं और समझते हैं कि गारंटर किसी भी वजह से गारंटीकृत राशियों के भुगतान में देरी करने या उक्त ऋण समझौते के नियमों और शर्तों या उसके तहत देनदारियों और/या बकाया रकम के भुगतान के संबंध में, कंपनी और **उधारकर्ता** के बीच कोई भी विवाद, प्रश्न या मतभेद उठाने/देखने या विचार करने के हकदार नहीं होंगे।

u. The obligations of the Guarantor as set out in this Clause shall survive the termination of this Agreement pursuant to Clause 11 and 12 (Termination and Company's Other Rights). The covenants, undertakings and liabilities of the Guarantor shall remain in full force and effect unless and until such time as all amounts due to the Company by the Borrower and all amounts due hereunder have been completely and duly paid to the Company to the complete and absolute satisfaction of the Company and the Company has in writing discharged the Borrower; however, if the obligations of the Guarantor under this Deed cease to be continuing for any reason, the liability of the Guarantor at the date of such cessation shall remain, regardless of any subsequent increase or reduction in the obligations of the Borrower under the Loan Documents.

इस खण्ड में उल्लिखित गारंटर के दायित्व, खण्ड 11 और 12 (समाप्ति और कंपनी के अन्य अधिकार) के अनुसार, इस समझौते के खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी। गारंटर **सभी** वचनों (Covenants), वचनबद्धताओं (Undertakings) एवं देयताओं (Liabilities) की पूर्ण वैधता एवं प्रभावशीलता तब तक बनी रहेगी, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय सभी राशियां और इसके तहत बकाया सभी राशियां कंपनी को पूरी तरह से और सही तरीके से भुगतान न कर दिए ~~जाने~~ जायें, और कंपनी के पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने, और कंपनी द्वारा लिखित में रूप में दायित्व से मुक्त कर दिए जाने तक पूरी तरह लागू रहेंगी; हालांकि, अगर इस विलेख के तहत गारंटर की ज़िम्मेदारियां किसी भी वजह से खत्म हो जाती हैं, तो इसके खत्म होने की तारीख पर, गारंटर की देनदारियां, ऋण दस्तावेजों के तहत **उधारकर्ता** की ज़िम्मेदारियों में बाद में कोई बढ़ोतरी या कमी होने के बावजूद, बनी रहेगी।

13. **INSURANCE:**

15. **बीमा:**

a. At the request of the Borrower, the Company may at its own discretion also finance the insurance premium of an insurance policy insuring the Borrower against various risks including without limitation the risks of personal accident, accidental hospitalization,

Outstanding Dues to the Company and/or critical illness provided that such insurance policy has been taken out by the Company on behalf of the Borrower from an insurance company approved by theCompany with a specific instruction and authority by the Borrower to such insurance company that in case of any loss, the loss will be paid to the Company by such insurance company. The Borrower hereby irrevocably authorises the Company to claim insurance proceeds and appropriate the same thereof against the amount due and payable under this Agreement. The insurance premium paid by the Company on behalf of the Borrower shall be added as the principal amount to the Loan granted herein and shall from part of the Loan. The insurance premium being a part of Loan may be disbursed by the Company directly to such an insurance company approved by the Company and such disbursement shall be deemed to be disbursement to the Borrower.

**ऋणी** के अनुरोध पर, कंपनी अपने **विवेकाधिकारानुसार**, विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध ऋणी का बीमा करने वाली बीमा पॉलिसी के **बीमा प्रीमियम** का भी वित्तपोषण कर सकती है, जिसमें बिना किसी सीमा के **व्यक्तिगत दुर्घटना, आकस्मिक अस्पताल में भर्ती, कंपनी के प्रति बकाया देय राशियाँ तथा गंभीर बीमारी (Critical Illness)** से संबंधित जोखिम शामिल हैं। बशर्ते कि ऐसी बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा ऋणी की ओर से कंपनी द्वारा अनुमोदित किसी **बीमा कंपनी** से ली गई हो और ऋणी द्वारा उक्त बीमा कंपनी को यह विशिष्ट निर्देश एवं प्राधिकार दिया गया हो कि किसी भी प्रकार की हानि होने की स्थिति में ऐसी हानि की बीमित राशि/बीमा दावा उक्त बीमा कंपनी द्वारा कंपनी को भुगतान किया जाएगा।
ऋणी एतद्द्वारा कंपनी को **अपरिवर्तनीय रूप से (Irrevocably)** प्राधिकृत करता है कि वह बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त होने वाली **बीमा दावा राशि/बीमा प्राप्तियों (Insurance Proceeds)** का दावा कर सके तथा इस समझौते के अंतर्गत देय एवं भुगतान योग्य राशि के विरुद्ध उक्त राशि का **विनियोजन/समायोजन (Appropriate)** कर सके।
ऋणी की ओर से कंपनी द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम, इस समझौते के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की **मूलधन राशि (Principal Amount)** में जोड़ा जाएगा और ऋण का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। ऋण का हिस्सा होने के कारण, बीमा प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा सीधे कंपनी द्वारा अनुमोदित ऐसी बीमा कंपनी को वितरित/भुगतान की जा सकती है और ऐसा भुगतान **ऋणी को ऋण राशि के वितरण (Disbursement) के रूप में माना जाएगा**।

b. In case, Borrower has chosen an insurance cover and is a member of 'Group Insurance Policy' taken by the Company, the Company shall have the right to appropriate insurance claim paid thereunder towards the Outstanding Dues. If after such appropriation, there be any surplus leftover, it shall be paid to the Borrower. If there is any deficit, then the Borrower shall be liable to pay entire deficit forthwith.

यदि **उधारकर्ता** ने एक बीमा कवर चुना है और वह कंपनी द्वारा ली गई **समूह** बीमा पॉलिसी' का एक सदस्य है, तो कंपनी के पास, बकाया राशि वसूलने के लिए उस बीमा राशि का दावा करने का अधिकार होगा। यदि उस बीमा राशि में से बकाया राशि वसूलने के बाद कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे

**उधारकर्ता** को भुगतान कर दिया जाएगा। बीमा राशि कम पड़ने पर, **उधारकर्ता** को उस कमी को–मूतत्काल एवं बिना किसी विलंब के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**16. GENERAL TERMS:**

**16 सामान्य शर्तें:**

1. The Borrower hereby agrees and confirm that the Company shall have the right to cross sell its other products and services and the products and services of its Affiliates, to the Borrower along with the Loan.

   **उधारकर्ता** एतद्द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि कंपनी को ऋण सुविधा के साथ-साथ **उधारकर्ता** को अपने अन्य उत्पादों और सेवाओं और अपने सहयोगियों के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने, उनका विपणन करने अथवा उनकी बिक्री करने (क्रॉस-सेल) का अधिकार होगा।

2. The Borrower shall pay any and all stamp duty, stamp duty penalties and similar taxes and duties which are or may become payable in connection with the entry into, performance or enforcement of this Agreement and/or Loan Documents whether at the time of execution or thereafter. The Borrower hereby agrees that in case the Company is required to make any payments such as stamp duty, stamp duty penalty and/or any other charges and/or duties on and in relation to this Agreement and/ or Loan Documents or any other underlying/associated documents, whether at the time of the execution or thereafter then the Company shall be entitled/authorised to recover the same from the Borrower.

   **ऋणी इस अनुबंध और/या ऋण दस्तावेजों के निष्पादन, अनुपालन अथवा प्रवर्तन के संबंध में देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी और समस्त स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी संबंधी दंड तथा तत्सम अथवा समान प्रकृति के अन्य सभी करों एवं शुल्कों का भुगतान करेगा, चाहे ऐसे कर, शुल्क अथवा दंड निष्पादन के समय देय हों अथवा तत्पश्चात देय हों।ऋणी एतद्द्वारा सहमत होता है कि यदि कंपनी को इस करार और/या ऋण दस्तावेजों अथवा उनसे संबंधित/आधारभूत किसी अन्य दस्तावेज के संबंध में, चाहे निष्पादन के समय अथवा तत्पश्चात, किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी संबंधी दंड और/या कोई अन्य प्रभार और/या शुल्क का भुगतान करना आवश्यक हो, तो कंपनी उक्त भुगतान की गई अथवा देय राशि उधारकर्ता से वसूल करने की हकदार/प्राधिकृत होगी**

3. Any provision of this Agreement which is prohibited or unenforceable including without limitation due to any notification, guidelines, circular issued by RBI from time to time, in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective only to the extent of such prohibition or un-enforceability but that shall not invalidate or affect the remaining provisions of this Agreement nor affect such provision in any other jurisdiction.

   इस समझौते का कोई भी प्रावधान जो RBI द्वारा समय-समय पर जारी किसी अधिसूचना, दिशानिर्देश, परिपत्र के कारण, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, अथवा अन्य निर्देश के कारण निषिद्ध या अप्रवर्तनीय हो जाता है, ऐसे अधिकारिता क्षेत्र में केवल उतनी सीमा तक अप्रभावी होगा, जितनी सीमा तक वह निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है। तथापि, इससे इस करार के शेष प्रावधानों की वैधता अथवा प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी और न ही किसी अन्य अधिकारिता क्षेत्र में उक्त प्रावधान की वैधता अथवा प्रवर्तनीयता प्रभावित होगी।

4. Any delay in exercising or omission to exercise any right, power or remedy accruing to the Company under this Agreement or any other agreement or document shall not impair any such right, power or remedy and shall not be construed to be waiver thereof or any acquiescence in any default, nor shall the action or inaction of the Company in respect of any default or any acquiescence by it in any default affect or impair any right, power or remedy of the Company in respect of any other default.

   इस समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत कंपनी को मिले किसी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में किसी प्रकार की देरी होने या उनका प्रयोग करने में चूक होने से, ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसे इन अधिकारों का परित्याग या किसी चूक में किसी प्रकार की मौन सम्मति नहीं मानी जाएगी, और किसी चूक के संबंध में कंपनी की सक्रियता या निष्क्रियता या इसी प्रकार, किसी चूक के संबंध में कंपनी द्वारा की गई कोई कार्रवाई अथवा निष्क्रियता, या किसी चूक के प्रति कंपनी की मौन स्वीकृति, किसी अन्य चूक के संबंध में कंपनी के किसी अधिकार, शक्ति अथवा उपचार को प्रभावित या क्षीण नहीं करेगी।

5. **NOTICE:** Any notice pursuant hereto shall be deemed to be duly given and served if sent by post/ courier/facsimile transmission/email addressed to the Borrower's/Guarantor's address/esmentioned in this Loan Agreement or in such other electronic mode duly notifying theBorrower/Guarantor and such notice other than by way of e-mail/ other electronic modes shall be deemed to take effect on the second working day following the date of the posting or the actual date of receipt whichever is earlier. If the notice is sent through

e-mail or any other electronic mode, the notice shall be deemed to be served when the relevant receipt of such notice being read is given, or where no read receipt is requested by the Company, at the time of sending.

**नोटिस:**

इस करार के अंतर्गत दिया गया कोई भी नोटिस, यदि इस ऋण करार में उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर के पते पर डाक/कूरियर/फैक्स द्वारा प्रेषित किया जाता है अथवा ई-मेल या ऐसे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसके संबंध में उधारकर्ता/गारंटर को विधिवत सूचित किया गया हो, भेजा जाता है, तो उसे विधिवत दिया गया और तामील किया गया नोटिस माना जाएगा।

ई-मेल अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भेजा गया ऐसा नोटिस, डाक द्वारा प्रेषण की तारीख के बाद आने वाले दूसरे कार्य दिवस को, अथवा उसकी वास्तविक प्राप्ति की तारीख को, जो भी पहले हो, प्रभावी माना जाएगा।

यदि नोटिस ई-मेल अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, तो ऐसा नोटिस उस समय विधिवत तामील किया हुआ माना जाएगा जब उक्त नोटिस के पढ़े जाने की संबंधित प्राप्ति-पावती (Read Receipt) प्राप्त हो जाए; अथवा, यदि कंपनी द्वारा Read Receipt का अनुरोध नहीं किया गया है, तो नोटिस भेजे जाने के समय ही ऐसा नोटिस विधिवत तामील किया हुआ माना जाएगा।

**17. ASSIGNMENT AND SECURITIZATION:**

17 **असाइनमेंट और प्रतिभूतिकरण:**

The Company shall at any time, without any consent of or notice to the Borrower be entitled to securitize, sell, assign, discount or transfer all or any part of the Company's right and obligations under this Agreement or other Loan Documents, to any person(s) and in such manner and on such terms as the Company may decide. The Borrower shall not be entitled to directly or indirectly assign or in any manner transfer, whether in whole or part, any rights or obligation under this Agreement and other Loan Documents.

कंपनी को किसी भी समय, **उधारकर्ता** की किसी सहमति अथवा पूर्व सूचना के बिना, इस अनुबंध अथवा अन्य ऋण दस्तावेजों के अंतर्गत कंपनी के सभी या किसी भाग के अधिकारों एवं दायित्वों को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में प्रतिभूतिकृत (Securitize), विक्रय, समनुदेशित (Assign), डिस्काउंट अथवा हस्तांतरित करने का अधिकार होगा तथा कंपनी ऐसे प्रतिभूतिकरण, विक्रय, समनुदेशन, डिस्काउंट अथवा हस्तांतरण को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर कर सकेगी, जैसा कंपनी अपने विवेकानुसार निर्धारित करे।

**उधारकर्ता** इस करार तथा अन्य ऋण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने किसी भी अधिकार अथवा दायित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या आंशिक रूप से, समनुदेशित (Assign) करने अथवा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा।

**18. COMPENSATION:**

**18 क्षतिपूर्ति:**

a. The Borrower/Guarantor shall jointly and severally compensate and keep compensated the Company against all actions, suits, proceedings and all costs, charges, insurance premia expenses, losses or damages which may be incurred or suffered by the Company by reason of any false or misleading information given by the Borrower/Guarantor to the Company hereunder or any breach/default/contravention/non observance/non performance by the Borrower/Guarantor of any terms, conditions, agreements and provisions hereunder. The Company shall be entitled to include any amount payable by the Borrower under this clause in the said dues being the subject matter of this Agreement.

**उधारकर्ता** /गारंटर संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से कंपनी को उन सभी कार्रवाइयों, वादों, कार्यवाहियों तथा उनसे संबंधित सभी लागतों, प्रभारों, बीमा प्रीमियम, खर्चों, हानियों अथवा क्षतियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और कंपनी को सदैव क्षतिपूरित रखेगा, जो इस करार के अंतर्गत **उधारकर्ता** /गारंटर द्वारा कंपनी को दी गई किसी मिथ्या या भ्रामक जानकारी के कारण अथवा **उधारकर्ता** /गारंटर द्वारा इस करार के अंतर्गत निहित किसी भी नियम, शर्त, करार अथवा प्रावधान के उल्लंघन/चूक/अतिक्रमण/अनुपालन न किए जाने/पालन न किए जाने के कारण कंपनी को भुगतनी पड़ सकती हैं या जिनसे कंपनी को कोई हानि अथवा क्षति हो सकती है।
कंपनी इस clause के अंतर्गत **उधारकर्ता** द्वारा देय किसी भी राशि को उन बकाया देयों में शामिल करने की हकदार होगी, जो इस करार का विषय हैं।

b. The Borrower/Guarantor further agrees to jointly and severally compensate and keep the Company compensated from time to time and at all times hereafter from and against any and all claims, damages, costs, losses, expenses, suits, proceedings, actions, liabilities, etc., whatsoever arising in connection with or relating to any Communications (as defined below) provided/received by the Company and/or its Affiliates by Electronic Media (as defined below).

**उधारकर्ता** /गारंटर सहमत होता है कि वह संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से कंपनी को समय-समय पर तथा इसके पश्चात हर समय, किसी भी और सभी दावों, क्षतियों, लागतों, हानियों, खर्चों, वादों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, देयताओं आदि, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, से तथा उनके विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और कंपनी को क्षतिपूरित रखेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) द्वारा कंपनी और/या उसके संबद्ध कंपनियों (Affiliates) को प्रदान किए गए अथवा उनके द्वारा प्राप्त किसी भी संचार (Communications) (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) के संबंध में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार से उत्पन्न हों।

**19. ELECTRONIC/DIGITAL EXECUTION AND COMMUNICATIONS:**

**19 इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल निष्पादन और संचार:**

a. The Borrower and Guarantor hereby agree, understand, acknowledge and confirm that he/she/they may execute the Agreement and connected documents in any electronic/digital form (where applicable) by affixing digital/electronic signature or through an One Time Password ('OTP') and/or e-link sent to their declared mobile number or e-mail ID and/or by clicking 'I Agree/Accept' button or any other mode, which shall be a binding contract between the parties.

उधारकर्ता और गारंटर एतद्द्वारा सहमत हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह/वे समझौते और संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल तरीके से डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करके या उनके बताए गए मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) और/या ई-लिंक के माध्यम से और/या 'मैं सहमत हूँ /स्वीकार करता हूँ' बटन पर क्लिक करके या अथवा किसी अन्य माध्यम से निष्पादित कर सकते हैं, और इस प्रकार निष्पादित करार पक्षकारों के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगा।

b. The Borrower and Guarantor are aware that transmission of this Agreement, terms and conditions, instructions, acceptances and communications ('Communications') through electronic means such as email, facsimile, SMS text messaging, online/website acceptance, etc. ('Electronic Media') involves a number of risks including fraudulent alterations and incorrect transmissions and absence of privacy, data protection and confidentiality. However, the Borrower and Guarantor are desirous of receiving Communications from and providing Communications to the Company through the Electronic Media for various matters under this Agreement including in relation to the Loan and the operation thereof.

उधारकर्ता और गारंटर इस बात से अवगत हैं कि ई-मेल, फैक्स, एसएमएस (SMS) टेक्स्ट मैसेजिंग, ऑनलाइन/वेबसाइट के माध्यम से स्वीकृति आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("Electronic Media") द्वारा इस करार, इसके नियम एवं शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों तथा संचारों ("Communications") का प्रेषण अनेक जोखिमों से युक्त है, जिनमें कपटपूर्ण परिवर्तन, गलत अथवा त्रुटिपूर्ण प्रेषण तथा निजता, डेटा संरक्षण और गोपनीयता का अभाव सहित अन्य जोखिम शामिल

हैं। तथापि, **उधारकर्ता** और गारंटर इस करार के अंतर्गत विभिन्न विषयों के संबंध में, जिसमें ऋण तथा उसके संचालन/संचालन से संबंधित विषय भी शामिल हैं, कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संचार प्राप्त करने तथा कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संचार प्रदान करने के इच्छुक हैं।

c. In consideration of the Company permitting the same, the Borrower/Guarantor hereby irrevocably, confirms and undertakes to the Company as under:

कंपनी द्वारा इसकी अनुमति प्रदान किए जाने के प्रतिफलस्वरूप, उधारकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा कंपनी के प्रति अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित की पुष्टि करता है और वचनबद्ध होता है:

a. The Company shall be entitled to rely upon the Communications provided through the Electronic Media (and believe the same to be genuine), for their requirements. In case of any question as to what were the Communications provided or received, the records of the Electronic Media received by the Company shall be treated as final, conclusive and binding and the Company shall not be responsible for conducting any verification whatsoever in this regard.

कंपनी को अपनी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Electronic Media) द्वारा प्रदान किए गए संचारों (Communications) पर भरोसा करने तथा उन्हें वास्तविक एवं प्रामाणिक मानने का अधिकार होगा। इस संबंध में यदि इस बात को लेकर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन-से संचार प्रदान किए गए अथवा प्राप्त किए गए थे, तो कंपनी द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अभिलेखों को अंतिम, निर्णायक एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी माना जाएगा तथा कंपनी इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

b. The Borrower/Guarantor confirms that the Company shall to act in accordance with not be bound whole or any part of the communications as it may appear in the Communications so conveyed and the same shall be at the sole risk of the Borrower/Guarantor.

**उधारकर्ता**/गारंटर पुष्टि करता है कि कंपनी, संचार में दिखाई देने वाले संपूर्ण संचार या उसके किसी हिस्से के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगी और इसका पूरा जोखिम, सिर्फ **उधारकर्ता**/गारंटर का होगा।

c. The Company shall not be liable for the consequences of any act or any refusal or omission to act or deferment of action by the Company on basis of the Communications through the Electronic Media.

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भेजे गए संचार के आधार पर कंपनी द्वारा कोई कार्य किए जाने या करने से मना किए जाने या चूक होने या ~~टाले जाने~~ स्थगित करने के कारण होने वाले परिणामों के लिए कंपनी, जिम्मेदारी नहीं होगी।

d. The Borrower and Guarantor are aware and confirm that the Company is agreeing to act on any Communications provided through Electronic Media only by reason of, and relying upon the undertakings contained in this Clause.

**उधारकर्ता** और गारंटर इस बात से अवगत हैं और पुष्टि करते हैं कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Electronic Media) द्वारा प्रदान किए गए किसी भी संचार (Communications) के आधार पर केवल इस कारण से तथा इस clause में निहित वचनों (Undertakings) पर भरोसा करते हुए कार्रवाई करने के लिए सहमत हो रही है।

**20. ARBITRATION:**

20 **मध्यस्थता:**

(a) All disputes, differences and/or claims, arising out of this Agreement, whether during its subsistence or thereafter, shall be settled by arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 ('the Act') or any statutory amendments thereof, notified prior to the reference of dispute to arbitration, and shall be referred by the initiator of such dispute to anyone of the following neutral arbitration institutions (hereinafter referred to as the " Arbitration Institution") seeking appointment of an arbitrator to resolve such disputes,differences and/or claims

इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे, चाहे इस करार की अवधि के दौरान उत्पन्न हों अथवा इसके पश्चात, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के प्रावधानों या उसके ऐसे किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार, जो विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने से पूर्व अधिसूचित किया गया हो, मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाएंगे। ऐसे विवाद, मतभेद और/या दावों के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु, ऐसे विवाद का आरंभकर्ता, निम्नलिखित में से किसी एक तटस्थ मध्यस्थता संस्था (जिसे आगे "मध्यस्थता संस्था" कहा जाएगा) को उक्त विवाद, मतभेद और/या दावा संदर्भित करेगा।:

i. Presolv360, an online dispute redressal platform/institution, presently run by Edgecraft Solutions Private Limited, currently having its office at 3rd Floor, Churchgate House, 32, Veer Nariman Road, Fort, Mumbai- 400 023 (and any subsequent changes thereto). (or) ii. ADReS Now, an online dispute redressal platform/institution, presently run by ADR e- Sarvantra Private Limited, currently having its office at 63, Palace Road, Vasanthnagar, Bangalore - 560 052 (and any subsequent changes thereto). (or) iii. Council for Indian and International Arbitration, a Trust having its office at No. 6, M.T.H. Road, DABC Complex 3rd Floor, Villivakkam, Chennai - 600 049 (and any subsequent changes thereto).

Presolv360, जो कि एक ऑनलाइन विवाद निवारण मंच/संस्थान है, जिसे वर्तमान में एजक्राफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका वर्तमान कार्यालय, तीसरी मंजिल, चर्चगेट हाउस, 32, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई- 400 023 में स्थित है (और बाद में हुए कोई परिवर्तन)। (या) ii. ADReS Now, जो कि एक ऑनलाइन विवाद निवारण मंच/संस्थान है, जिसे वर्तमान में ADR ई-सर्वत्र प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका वर्तमान कार्यालय, 63, पैलेस रोड, वसंतनगर, बेंगलुरु - 560 052 में स्थित है (और बाद में हुए कोई परिवर्तन)। (या) iii. भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद, जो कि एक ट्रस्ट है, जिसका कार्यालय, नंबर 6, M.T.H. रोड, DABC कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, विल्लीवाक्कम, चेन्नई - 600 049 में स्थित है (और बाद में हुए कोई परिवर्तन)।

The Arbitration Institution shall refer the disputes, differences and/or claims to an arbitrator. The appointment of the arbitrator by Arbitration Institution shall be considered as a joint appointment by mutual consent of all the parties to the Agreement. The award given by such arbitrator shall be final and binding on all parties to this Agreement

**मध्यस्थता संस्था उक्त विवादों, मतभेदों और/या दावों को किसी मध्यस्थ के समक्ष संदर्भित करेगी। मध्यस्थता संस्था द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को इस करार के सभी पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति से की गई संयुक्त नियुक्ति माना जाएगा। ऐसे मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट (Arbitral Award) इस करार के सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।**

(b) The Arbitration Institution shall appoint a substitute arbitrator in place of the appointed arbitrator in the following events: i. death of the appointed arbitrator; or ii. where the appointed arbitrator is unable or unwilling to act as arbitrator for any reason whatsoever.

मध्यस्थता संस्थान, निम्नलिखित परिस्थिति में, नियुक्त किए गए मध्यस्थ के स्थान पर एक वैकल्पिक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा: i. नियुक्त किए गए मध्यस्थ की मृत्यु होने पर; या ii. यदि नियुक्त किया गया मध्यस्थ, किसी कारण से मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।

(c) The place of arbitration proceedings shall be Chennai or Kolkata. The Courts at Chennai or Kolkata shall have the exclusive jurisdiction to try & entertain all disputes and differences and/or claims, arising out of or under this Agreement. The language of arbitral proceedings shall be English.

मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान, चेन्नई या कोलकाता होगा। चेन्नई या कोलकाता के न्यायालयों को, इस समझौते के तहत या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों, मतभेदों और/या दावों पर सुनवाई और विचार करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा, अंग्रेजी होगी।

(d) Administrative assistance to the arbitrator to facilitate the conduct of the arbitral proceedings,if required, may be provided by the Arbitration Institution.

यदि आवश्यक हो, तो मध्यस्थता संस्था द्वारा मध्यस्थ को मध्यस्थता की कार्यवाही के सुचारु संचालन को सुगम बनाने हेतु प्रशासनिक सहायता प्रदान की जा सकती है।।

(e) The parties hereby consent to have the arbitral proceeding conducted by a submission of written pleadings/submissions, documents in physical and/or any other electronic/virtual mode (through exchange of post, e-mail and/or any other mode of electronic communication including video conference (VC), online, virtual hearing etc., using an external application or platform, if necessary) or a combination thereof as may be determined by the arbitrator, whose decision shall be final and binding on the parties.

पक्षकार एतद्द्वारा सहमत हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही लिखित अभिवचनों/लिखित प्रस्तुतियों तथा दस्तावेजों के भौतिक रूप में और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/वर्चुअल माध्यम से (डाक, ई-मेल और/या वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC), ऑनलाइन, वर्चुअल सुनवाई आदि सहित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के आदान-प्रदान के द्वारा, तथा आवश्यकता होने पर किसी बाहरी एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करके) अथवा उक्त माध्यमों के संयोजन द्वारा संचालित की जा सकती है, जैसा कि मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाए, और इस संबंध में मध्यस्थ का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(f) The arbitrator shall send a copy of the award/interim award/order so passed by him/her and duly certified by him/her through post/courieror a scanned image of such awardor electronically/digitally signed award to the parties through e-mail or any other electronic mode either on his own or through the Arbitration Institution, as he/she deems fit, which shall be considered as a signed copy for the purposes of the Act.

मध्यस्थ द्वारा पारित तथा उसके द्वारा विधिवत प्रमाणित पंचाट/अंतरिम पंचाट/आदेश की एक प्रति मध्यस्थ द्वारा स्वयं अथवा मध्यस्थता संस्था के माध्यम से, जैसा कि वह उचित समझे, डाक/कूरियर द्वारा अथवा ऐसे पंचाट/अंतरिम पंचाट/आदेश की स्कैन की गई प्रति के रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति के रूप में, ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पक्षकारों को भेजी जाएगी। ऐसी प्रति को अधिनियम (Act) के प्रयोजनों के लिए हस्ताक्षरित प्रति माना जाएगा।

(g) The postal/e-mail and/or any other electronic mode of address provided by the Borrower(s)/Guarantor(s) to the Company under the Agreement or any other document executed/shared by Borrower(s) / Guarantor(s) with the Company shall be deemed to be an active postal/e-mail and/or any other electronic mode of address and any service effectuated upon such active postal/e-mail and/or any other electronic mode of address shall be deemed to be completed. Any change or other discrepancies in the postal/e-mail and/or any other electronic mode of address provided above, shall be informed to the Company promptly.

डाक/ई-मेल और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके का पता जो उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी को कंपनी के साथ उधारकर्ता/गारंटर द्वारा निष्पादित किए गए समझौते या किसी अन्य दस्तावेज में प्रदान किया गया है/उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी के साथ साझा किया गया है, उसे एक सक्रिय डाक/ई-मेल और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके का पता माना जाएगा और इस सक्रिय डाक/ई-मेल और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके का पता पर प्रदान की गई सेवा को पूरी हो गई माना जाएगा। उपरोक्त डाक पते /ई-मेल पते और/या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर या अन्य विसंगतियां दिखाई देने पर उसके बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करना होगा।

इस **अनुबंध** अथवा **ऋणी** /गारंटर द्वारा कंपनी के साथ निष्पादित/साझा किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ के अंतर्गत उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) द्वारा कंपनी को प्रदान किया गया डाक पता, ई-मेल पता और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का पता सक्रिय डाक/ई-मेल और/या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का पता माना जाएगा तथा

ऐसे सक्रिय डाक/ई-मेल और/या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के पते पर की गई किसी भी तामील/सेवा को विधिवत पूर्ण माना जाएगा। उपर्युक्त प्रदान किए गए डाक पते, ई-मेल पते और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के पते में किसी भी परिवर्तन या अन्य विसंगति की सूचना **ऋणी** /गारंटर द्वारा कंपनी को तत्काल दी जाएगी।

**21. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM:**

**21 शिकायत निवारण तंत्र:**

The Company has laid out a detailed grievance redressal mechanism in line with the extant guidelines of RBI. The grievance redressal mechanism and contact details are available at https://www.cholamandalam.com/contact-us/grievance-redressal. The Borrower may get his/her/its grievance/s redressed under the said grievance redressal mechanism.

कंपनी ने RBI मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण किया है। शिकायत निवारण तंत्र और संपर्क विवरण https://www.cholamandalam.com/contact-us/grievance-redressal पर उपलब्ध हैं। **उधारकर्ता** इस शिकायत निवारण तंत्र के तहत अपनी शिकायतों का समाधान करा सकता है।

**22. ACCEPTANCE:**

22 **स्वीकृति:**

The Borrower hereby declare as follows: They have read the entire Agreement including the material details given in the Schedule, which have been filled in their presence, have understood the entire meaning of all the clauses/details and agree to be bound by the same. They have executed necessary documents for the purpose of availing the said facility. They agree that this Agreement shall be concluded and become legally binding on the date when the authorized Signatory of the Company signs this Agreement.

**उधारकर्ता** और गारंटर एतद्द्वारा निम्न घोषणा करते हैं: उन्होंने संपूर्ण समझौते को, अनुसूचियों में दिए गए सारभूत विवरणों सहित पढ़ लिया है, जिन्हें उनकी मौजूदगी में भरा गया था, उन्होंने सभी खंडों/विवरणों को अच्छी तरह समझ लिया है और वे उनसे बाध्य रहने के लिए सहमत हैं। उक्त ऋण सुविधा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक दस्तावेजों का विधिवत निष्पादन कर दिया है। वे सहमत हैं कि जिस दिन कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, यह समझौता उस तारीख को मूल पूर्ण एवं संपन्न माना जाएगा और कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा।

THE PARTIES HEREIN SIGNED THIS AGREEMENT ON THE DAY, MONTH AND YEAR AS STIPULATED IN THE SCHEDULE
इस समझौते पर सभी पक्षों ने अनुसूची में उल्लिखित दिन, महीने और वर्ष में हस्ताक्षर किया है

SIGNED AND DELIVERED
हस्ताक्षरित और वितरित

By the within named For
यहाँ नामित व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के लिए

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हस्ताक्षरित और वितरित

Authorised Signatory
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SIGNED AND DELIVERED
हस्ताक्षरित और वितरित

By the within named
यहाँ नामित व्यक्ति द्वारा

Co-Borrower 1 Name & Signature

सह-उधारकर्ता 1 का नाम और हस्ताक्षर

SIGNED AND DELIVEREDy the within named

हस्ताक्षरित और वितरित यहाँ नामित व्यक्ति द्वारा

Borrower Name & Signature

उधारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

SIGNED AND DELIVERED

हस्ताक्षरित और वितरित

By the within named
यहाँ नामित व्यक्ति द्वारा

SCHEDULE

अनुसूची

| | |
|---|---|
| **Date of Loan Agreement**<br>**ऋण समझौते की तारीख** | 03-02-2026<br>03-02-2026 |
| Loan Application No<br>ऋण आवेदन संख्या | |

| **Sr.No**<br>**क्रमांक** | **Type of Borrower / Guarantor**<br>**उधारकर्ता/ गारंटर का प्रकार** | **Name**<br>**नाम** | **Address**<br>**पता** |
|---|---|---|---|
| 1 | **Borrower**<br>उधारकर्ता | | |
| 2 | **Co-Borrower 1**<br>सह-उधारकर्ता 1 | | |

| **Sr.No**<br>**क्रमांक** | **Type of Borrower / Guarantor**<br>**उधारकर्ता/गारंटर का प्रकार** | **Email Address**<br>**ईमेल पता** | **Mobile No**<br>**मोबाइल नंबर** | **Place of Occupation / Business**<br>**पेशा/व्यवसाय का स्थान** | **Status (Individual / Sole Proprietor / Company / Partnership)**<br>**स्थिति (व्यक्तिगत/एकमात्र स्वामी/कंपनी/पार्टनरशिप)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borrower<br>उधारकर्ता | | | | |
| 2 | Co-Borrower 1<br>सह-उधारकर्ता 1 | | | | |

| | |
|---|---|
| Purpose of the Loan<br>ऋण का उद्देश्य | |
| Loan Product<br>ऋण उत्पाद | Dropline Flexi Small Enterprise Loan<br>ड्रॉपलाइन फ्लेक्सी लघु उद्यम ऋण |
| Loan Amount<br>ऋण राशि | |
| Loan Tenure (In Months)<br>ऋण अवधि (महीनों में) | |
| Type of Interest<br>ब्याज का प्रकार | Fixed<br>फिक्स्ड |
| Rate of Interest<br>ब्याज की दर | |

| | |
|---|---|
| Dropline Amount<br>ड्रॉपलाइन राशि | |
| Number of Instalment<br>किस्तों की संख्या | |
| Due Date<br>नियत तारीख | 5th of every month<br>हर महीने की 5 तारीख |

| | |
|---|---|
| Repayment Frequency<br>पुनर्भुगतान की बारंबारता | मासिक |
| Repayment Mode<br>पुनर्भुगतान का तरीका | NACH/E-NACH/ECS/SI |
| Penal Charges<br>**दंडात्मक प्रभार** | **30% per annum on the amounts under default from the due date to the date of actual payment.**<br>**30% प्रति वर्ष चूक की गई राशि पर देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक।** |
| Annual Maintenance charges<br>वार्षिक रखरखाव शुल्क | Payable annually on the last due date of each year @0.5% on the principal outstanding on such Due Date in the repayment schedule available in Welcome Letter.<br>प्रत्येक वर्ष की अंतिम देय तिथि पर, वेलकम लेटर में उपलब्ध पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार उस देय तिथि पर बकाया मूलधन राशि के 0.5% की दर से वार्षिक रूप से देय। |
| Document/Duplicate Document Charges:<br><br>दस्तावेज़/डुप्लिकेट दस्तावेज़ शुल्क:<br><br>i. Physical Statement of Account<br>ii. Duplicate NOC<br>iii. Physical repayment schedule<br>i. खाते का विवरण की भौतिक प्रति<br>ii. डुप्लीकेट एनओसी<br>iii. चुकौती अनुसूची की भौतिक प्रति | Rs.250/-per copy<br><br>रु. 250/- प्रति कॉपी<br><br>Rs.1000/- per copy<br><br>रु. 1000/- प्रति कॉपी<br><br>Rs.500/- per copy<br>रु. 500/- प्रति कॉपी |

| | |
|---|---|
| Cheque/Mandate Swap Charges<br>चेक/ मैंडेट स्वैप शुल्क | Rs.500/-<br>रु. 500/- |
| Sourcing Fee<br>सोर्सिंग शुल्क | |
| Admin & Processing Fee<br>प्रशासन एवं प्रोसेसिंग शुल्क | |
| Cheque/Mandate bounce Charges<br>चेक/अधिदेश बाउंस शुल्क | Rs.1500/- per bounce<br>रु. 1500/- प्रति बाउंस |
| Mandate rejection charges<br>अधिदेश अस्वीकृति शुल्क | Rs.500/-<br>रु. 500/- |
| Legal Charges<br>कानूनी शुल्क | At actuals + GST<br>वास्तविक खर्च के अनुसार + जीएसटी |
| Drawing Limit for every month<br>हर महीने के लिए निकासी सीमा | Will be communicated through the Welcome Letter or such other mode as decided by the Company<br>इसके बारे में स्वागत पत्र के माध्यम से या कंपनी द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से बताया जाएगा |

| | |
|---|---|
| Preclosure Condition (Full Closure)<br>प्रीक्लोजर की स्थिति (पूर्ण क्लोजर) | No Preclosure is allowed upto the payment of six instalments on Due Dates.<br>छह किस्तों का नियत तारीखों पर भुगतान होने तक प्रीक्लोजर की अनुमति नहीं है। |
| Preclosure Charges (Full Closure)<br>प्रीक्लोजर शुल्क (पूर्ण क्लोजर) | a. 6% on Drawing Limit specified in the Welcome Letter issued on first instance + GST for the Pre closure made from 7th to 12th instalments<br>b. 4% on Drawing Limit specified in the Welcome Letter issued on first instance + GST for the Pre closure made after paying 12th instalment on its Due Date<br>a. वेलकम लेटर में प्रथम बार निर्दिष्ट ड्रॉइंग लिमिट पर 6% + जीएसटी, यदि प्रीक्लोज़र 7वीं से 12वीं किस्त के बीच किया जाता है। |

| | |
|---|---|
| | b. वेलकम लेटर में प्रथम बार निर्दिष्ट ड्रॉइंग लिमिट पर 4% + जीएसटी, यदि प्रीक्लोज़र 12वीं किस्त की नियत तिथि पर उसके भुगतान के बाद किया जाता है। |
| Collection Effort Charges<br>वसूली प्रयास शुल्क | Rs.250/- + GST per visit |
| Statutory and Regulatory Fee - Stamp Duty<br>वैधानिक और विनियामक शुल्क - स्टाम्प ड्यूटी | Rs.200/-<br>रु. 200/- |

ध्यान दें:

ध्यान दें:

1. All the aforesaid fees and charges are exclusive of applicable taxes, duties, levies, surcharges and cess (except Penal Charges & Cheque/Mandate bounce Charges) as may be applicable from time to time.

   उपरोक्त सभी शुल्कों और प्रभारों में, समय-समय पर लागू कर, ड्यूटी, लेवी, अधिभार और उपकर शामिल नहीं हैं (दंडात्मक शुल्कों और चेक/अधिदेश बाउंस शुल्कों को छोड़कर)।

2. Key fact statement and its annexures are provided as attachment to the Schedule.

   मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) और उसके अनुलग्नक, अनुसूची में संलग्नक के रूप में दिए गए हैं।

**The basis for classification of loans as SMA and NPA categories under the RBI guidelines, is as follows:**
**RBI दिशानिर्देशों के तहत ऋणों को SMA और NPA श्रेणियों में वर्गीकृत करने का आधार निम्नलिखित है:**

| SMA Sub-categories<br>**विशेष उल्लेख खाता (SMA) की उप-श्रेणियाँ** | Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue<br>**वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज का भुगतान अथवा कोई अन्य राशि, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय हो।** |
|---|---|
| SMA-0 | Upto 30 days |

| | |
|---|---|
| | **30 दिनों तक** |
| SMA-1 | More than 30 days and upto 60 days<br>**30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक** |
| SMA-2 | More than 60 days and upto 90 days<br>**60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक** |
| NPA | More than 90 days<br>**90 दिनों से अधिक** |

Classification as SMA or NPA is done as part of day-end process for the relevant date and the SMA or NPA classification date shall be the calendar date for which the day end process is run by the Company.

SMA या NPA में वर्गीकृत करने का काम, संबंधित तारीख के लिए दिन के अंत में होने वाली प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, और SMA या NPA में वर्गीकृत करने की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को कंपनी द्वारा दिन के अंत में होने वाली प्रक्रिया पूरी की जाती है। SMA अथवा NPA के रूप में वर्गीकरण संबंधित तारीख के लिए दिनांत (Day-end) प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा तथा SMA अथवा NPA वर्गीकरण की तारीख वह कैलेंडर तारीख होगी, जिसके लिए कंपनी द्वारा दिनांत (Day-end) प्रक्रिया संचालित की जाती है।

Loan accounts once classified as NPA will be upgraded as standard asset only if the entire arrears of principal amount of the Loan and/or interest and /or any other amount payable under this Agreement and/or balance of the Loan as the case may be paid by Borrower in full

एक बार NPA के तौर पर वर्गीकृत हो चुके ऋण खाते को मानक परिसंपत्ति के तौर पर ~~अपग्रेड~~ पुनर्वर्गीकृत केवल तभी किया जाएगा, जब **उधारकर्ता** द्वारा ऋण का पूरा बकाया मूलधन और/या ब्याज और/या इस समझौते के तहत भुगतान की जाने वाली कोई अन्य रकम और/या ऋण की शेषराशि, जैसा भी मामला हो, पूरा चुका दिया जाएगा।

(The expression 'standard asset' shall mean and refer to a loan account which is not required to be classified as SMA or NPA). The SMA or NPA classification is done at the Borrower level which means all the loan accounts of the Borrower will be classified as applicable for the loan with highest overdue days.

(वाक्यांश 'मानक परिसंपत्ति' का मतलब वह ऋण खाता है जिसे SMA या NPA के तौर पर वर्गीकृत करने की ज़रूरत नहीं है)। SMA या NPA वर्गीकरण, उधारकर्ता स्तर पर किया जाता है जिसका मतलब है कि उधारकर्ता के सभी ऋण खातों का वर्गीकरण वही होगा जो उसके सबसे अधिक ओवरड्यू या अतिदेय दिनों वाले ऋण के लिए लागू होगा।

For LIMRA ENGINEERING
वास्ते लिमरा इंजीनियरिंग

Any change in the classification of loan account as SMA or NPA or any other new category as prescribed by RBI will be implemented automatically by the Company and the same shall be applicable to Borrower.

ऋण खाते को SMA या NPA के रूप में या RBI द्वारा निर्धारित किसी अन्य नई श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में होने वाले परिवर्तन को कंपनी द्वारा स्वचालित रूप से लागू किया जाएगा और वह उधारकर्ता पर लागू होगा।

**Example for SMA/NPA classification:** If at the time of running the day end process on March 31, 2022, the outstanding balance in a Loan is in excess of Loan or Drawing Limit, whichever is lower the said loan account shall be considered as overdue as of March 31'2022. If the outstanding balance continues to remain as overdue till April 30,2022, the loan account shall get tagged as SMA-1 upon running day-end process on April 30, 2022 i.e. upon completion of 60 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA-1 classification for the loan account shall be April 30, 2022.

**SMA/NPA वर्गीकरण का उदाहरण:** अगर 31 मार्च, 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया के समय, किसी ऋण में बकाया शेषराशि, ऋण या निकासी सीमा, जो भी कम हो, उससे अधिक है, तो उस ऋण खाते को 31 मार्च, 2022 को ओवरड्यू या अतिदेय माना जाएगा। अगर बकाया शेषराशि लगातार अतिदेय रहती है, तो ऋण खाते को 30 अप्रैल 2022 को, उस दिन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर, यानी लगातार अतिदेय रहने के 60 दिन

पूरे होने पर SMA-1 के रूप में टैग या वर्गीकृत कर दिया जाएगा। इस तरह, ऋण खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तारीख, 30 अप्रैल 2022 होगी।

Similarly, if the loan account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA- 2 upon running day-end process on May 30, 2022 and if it continues to remain overdue further it shall get classified as NPA upon running day-end process on June 29, 2022.

इसी तरह, यदि ऋण खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई 2022 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर SMA-2 के रूप में टैग या वर्गीकृत कर दिया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून 2022 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर NPA के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

Please note that the basis for classification as SMA & NPA and Example are provided for the Borrower's understanding of the process followed by the Company as on date to classify a loan account as SMA & NPA. The said process is subject to change upon the instructions/guidelines of the Reserve Bank of India.

कृपया ध्यान दें कि SMA और NPA के रूप में वर्गीकृत किए जाने का आधार और उदाहरण, ऋण खाते को SMA और NPA के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कंपनी द्वारा आज की तारीख में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उधारकर्ता को समझाने के लिए दिया गया है। इस प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।

SIGNED AND DELIVERED
हस्ताक्षरित और वितरित
By the within named For
यहाँ नामित व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के लिए
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

**Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.**
**चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,**
Chola Crest, Plot Nos. C 54-55 & Super B-4, Thiru. Vi. Ka Industrial Estate,
'चोला क्रेस्ट', प्लॉट नंबर C 54 और 55, सुपर B-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट,
Guindy, Chennai - 600032. India. Email: customercare@chola.murugappa.com
गिंडी, चेन्नई -600032. भारत. ईमेल: customercare@chola.murugappa.com
Toll- Free No.: 1800 102 4565 | CIN: L65993TN1978PLC007576
टोल-फ्री नंबर.: 1800 102 4565 | सीआईएन: L65993TN1978PLC007576

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हस्ताक्षरित और वितरित

Authorised Signatory

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

SIGNED AND DELIVERED

हस्ताक्षरित और वितरित

By the within named

यहाँ नामित व्यक्ति द्वारा

Co-Borrower 1 Name & Signature

सह-उधारकर्ता 1 का नाम और हस्ताक्षर

SIGNED AND DELIVERED

हस्ताक्षरित और वितरित

By the within named

यहाँ नामित व्यक्ति द्वारा

**Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.**
**चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,**
Chola Crest, Plot Nos. C 54-55 & Super B-4, Thiru. Vi. Ka Industrial Estate,
'चोला क्रेस्ट', प्लॉट नंबर C 54 और 55, सुपर B-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट,
Guindy, Chennai - 600032. India. Email: customercare@chola.murugappa.com
गिंडी, चेन्नई -600032. भारत. ईमेल: customercare@chola.murugappa.com
Toll- Free No.: 1800 102 4565 | CIN: L65993TN1978PLC007576
टोल-फ्री नंबर.: 1800 102 4565 | सीआईएन: L65993TN1978PLC007576

## REPAYMENT SCHEDULE

## पुनर्भुगतान अनुसूची

| Instal # क़िस्त# | Due Date नियत तारीख | Opening Balance प्रारंभिक शेषराशि | Installment किस्त राशि | Principal मूलधन | Interest ब्याज | Effective Rate (%) Days प्रभावी दर (%) दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|

*Please note that the Repayment Schedule provided hereinabovexf is tentative which may change on the basis of actual date and quantum of Loan disbursement and the revised Repayment Schedule will be communicated to Borrower in writing and the same shall be considered as part of this Agreement

*कृपया ध्यान दें कि यहाँ ऊपर दी गई पुनर्भुगतान अनुसूची, अस्थायी है जो ऋण संवितरण की वास्तविक तिथि और मात्रा के आधार पर बदल सकती है, और संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के बारे में उधारकर्ता को लिखित रूप में बता दिया जाएगा और उसे इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा।